

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-54 / 2025
पंजीकरण तिथि-28.04.2025
निर्णय तिथि-28.08.2025

ओम प्रकाश/वेद प्रकाश
 पुत्र किशन राम
 ग्राम-डामर, तोक-बुरुसी
 तहसील-लमगड़ा
 जिला-अल्मोड़ा।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 नैनीताल।

विपक्षी

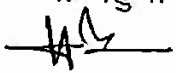
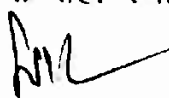
निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी०जी०आर०एफ०) अल्मोड़ा में पंजीकृत किया गया था, जिसे सी०जी०आर०एफ० अल्मोड़ा द्वारा सी०जी० आर०एफ० हल्द्वानी को स्थानांतरित करते हुए लिखा गया है कि "प्रकरण में संदर्भित स्थल का उपखण्ड अधिकारी, भीमताल तथा उपखण्ड अधिकारी, अल्मोड़ा के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त गांव की भौगोलिक स्थिति के अनुसार लाइन का निर्माण विद्युत वितरण खण्ड अल्मोड़ा से किया जाना सम्भव नहीं है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि उपरोक्त तोक का विद्युतीकरण उपखण्ड भीमताल से किया जा सकता है ताकि निवासियों को विद्युत संयोजन दिया जा सके। आपसे अनुरोध है की तदनुसार प्रकरण में आगे की कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस मंच में यह वाद शिकायत संख्या-54 / 2025 के रूप में दर्ज किया गया।
2. शिकायती पत्र में परिवादी द्वारा कहा गया है कि हम उपरोक्त गांव (ग्राम-डामर, तोक-बुरुसी, ब्लॉक-लमगड़ा, तह०-लमगड़ा जिला- अल्मोड़ा) में करीब 50 वर्ष से रह रहे हैं। जिसमें लगभग 15 मकान बने हुए हैं। बच्चे और बूढ़े सब मिलाकर लगभग 50 रहते हैं। इस गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। पहले भारत सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम से विद्युतीकरण किया गया था। जो सफल नहीं हो पाया। आजकल गांव में बिजली नहीं है जिससे रात में जंगली जानवरों का खतरा बना

क्रमशः

रहता है। जिसके कारण गांव में अंधेरा होने के पश्चात भय का वातावरण रहता है। महोदय जबकि पूरे भारतवर्ष में विशेष कर उत्तराखण्ड राज्य में सभी गांव ऊर्जीकृत हो चुके हैं हमारा गांव इससे अभी भी वंचित है। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हम दो लोगों को कम से कम विद्युत संयोजन दे दिया जाए जिससे कम से कम गांव वाले मोबाइल, इंटरनेट व वाई-फाई चार्ज कर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। हम दोनों लोग इस संदर्भ में नए संयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवश्यक फॉर्म भरकर संलग्न कर रहे हैं।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 01.05.2025 में कहा गया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, निकट विकास भवन, स्यालीधार, अल्मोड़ा के वाद संख्या- 205/2024 में माननीय मंच अल्मोड़ा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-762 दिनांक 25.03.2025 में विद्युत विभाग अल्मोड़ा को विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अनुपालन में दिनांक 14.02.2025 को विद्युत वितरण उपखण्ड अधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपखण्ड अधिकारी, भीमताल के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, भीमताल द्वारा उक्त टोक का विद्युतीकरण का कार्य विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल अन्तर्गत किए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त प्रकरण में संबंधित कार्य प्रणाली मद में कराये जाने हेतु उच्चाधिकारी कार्यालयों से खण्ड कार्यालय पत्रांक-779 दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति चाही गई थी जिसमें मुख्य अभियंता(वि०) हल्द्वानी के कार्यालय ज्ञाप संख्या-449 दिनांक 01.05.2025 के माध्यम से वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त हो चुकी है (कागज संख्या-3/1)। वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने के पश्चात उक्त कार्य में अनुबन्ध किया जाना है जिसमें 15 से 20 दिन का समय लगना सम्भव है, अनुबन्ध होने के पश्चात विद्युतीकरण का कार्य माह जून 2025 के मध्यान्तर तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 20.06.2025 में कहा गया है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है, जिसके पश्चात् सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को टोक-बुरुसी, लमगड़ा, अल्मोड़ा, क्षेत्र में विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्य करने हेतु सूचित कर दिया गया है। उक्त क्रम में ही सम्बन्धित कार्य करने हेतु भण्डार गृह से सामग्री प्राप्त कर अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित भी किया गया था। उक्त क्रम में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया कि टोक- बुरुसी, लमगड़ा, अल्मोड़ा, क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिस कारण वर्तमान में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण होने में लगभग 7 से 8 दिवस का समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त भण्डार गृह में विद्युतीकरण से सम्बन्धित सामग्री समाप्त होने के कारण कुछ सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी है, सामग्री प्राप्त होने में लगभग 02 सप्ताह का समय लग सकता है। जिसके उपरान्त ही उक्त प्रकरण में की गयी कार्य प्रगति से माननीय मंच को अवगत कराया जा सकेगा। अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अतिरिक्त समय प्रदान करने का कष्ट करें।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 15.07.2025 में कहा गया है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु भण्डार गृह से सामग्री प्राप्त कर ली गयी है जिसके पश्चात उक्त सामग्री को रोड साईड पर भी पहुंचा दिया गया है। रोड साईड से सही स्थान की पैदल दूरी लगभग 03 किमी०


क्रमशः

होने के कारण पोल व अन्य सामग्री को ले जाने में अत्यधिक समय के साथ साथ कठिनाई भी हो रही है क्योंकि वर्षा ऋतु के चलते उक्त क्षेत्र में कार्य करने के दौरान अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन होता रहता है जिस कारण सामान की ढुलाई का कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के सामान्य होने पर कार्य को तेजी से किया जा रहा है जिसके क्रम में 03 नग डी०पी० का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। मौसम के सामान्य होने पर शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना है जिसमें 15 से 20 दिवस का समय लग सकता है।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 11.08.2025 में कहा गया है कि उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु संबंधित ठेकेदार से दूरभाष पर वार्ता करने पर अवगत कराया गया कि भंडार गृह से सामग्री प्राप्त करने के पश्चात सामग्री को रोड साइड से होते हुए सही स्थान पर भी पहुंचा दिया गया है। रोड साइड से सही स्थान की पैदल दूरी लगभग अधिक होने के कारण पोल व अन्य सामग्री को पहुंचने में अत्यधिक समय लगा। उक्त कार्य करने में अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन होने से भी कार्य करने में व्यवधान हुआ जिस कारण से भी समय अधिक लग रहा है। कई स्थानों पर विद्युत पोलों को लगा दिया गया है इसके अतिरिक्त क्षेत्र में एक नग ट्रांसफार्मर भी लगाया जाना है क्योंकि वर्षा ऋतु के चलते उक्त क्षेत्र में कार्य करने के दौरान अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन होता रहता है जिस कारण सामान की ढुलाई का कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के सामान्य होने पर कार्य को तेजी से किया जा रहा है शेष कार्य प्रगति पर है। मौसम के सामान्य होने के पर शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना है। जिसमें सम्भवतः 02 सप्ताह का समय लग सकता है।
7. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त पत्र दिनांकित 25.08.2025 में कहा गया है कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि तोक-बुरुसी, लमगड़ा, अल्मोड़ा, क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी वर्षा रुक-रुक कर हो रही है जिस कारण कार्य में व्यवधान हो रहा है परन्तु मौसम के सामान्य होने पर कार्य को तेजी से किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में पोलों को लगाये जाने वाली भूमि में वर्षा के कारण अत्यधिक नमी व पानी भर जाने से परेशानी उत्पन्न होने से पोलों को सही स्थान पर स्थिर रख पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त क्रम में 06 से 08 नग पोलों को लगाने का कार्य ~~हो~~ है। मौसम के सामान्य होने पर शेष कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना है। मौसम के सामान्य होने पर सम्भवतः 08 से 10 दिवस का समय लग सकता है।
8. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण अल्मोड़ा जनपद के ग्राम-डामर, बुरुसी तोक में रह रहे ग्रामीणों के विद्युत संयोजन से संबंधित है। तोक का विद्युतीकरण नहीं होने से वहां के निवासियों को अभी तक बिजली के कनेक्शन जारी नहीं हो पाए हैं। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच अल्मोड़ा के निर्देश पर भीमताल एवं अल्मोड़ा उपखण्ड के संयुक्त निरीक्षण में यह बात सामने आयी कि विद्युत लाइन निर्माण का कार्य विद्युत तिराखण्ड अल्मोड़ा से किया जाना सम्भव नहीं है। यह कार्य भीमताल उपखण्ड से किया जा सकता है ताकि ग्रामीणों को संयोजन प्रदान किया जा सकें।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी में वाद दायर होने के बाद विद्युत तिराखण्ड नैनीताल द्वारा उच्च अधिकारियों से तत्काल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली गयी तथा कार्य का अनुबन्ध किया गया। वर्तमान में लाइन निर्माण कार्य में वर्षा के कारण बाधा उत्पन्न होने से पोल लगाने का कुछ कार्य शेष बचा है। जिसे विपक्षी ने लगभग 10 दिन में पूर्ण कर दिए जाने संबंधी आख्या मंच में प्रस्तुत की है। विपक्षी से

क्रमांक

अपेक्षा की जाती है कि वह 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देगा तथा ग्रामीणों के आवेदन पर संयोजन अवमुक्त करने की कार्यवाही शुरू कर देगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर लाइन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये तथा लाइन निर्माण के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

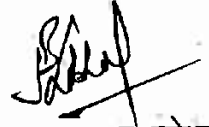
दिनांक:-28/08/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



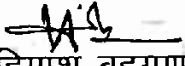
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-28/08/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-60 / 2025

पंजीकरण तिथि-05.05.2025

निर्णय तिथि-18.08.2025

प्रोफेसर के०के० पाण्डे
 5 / 609, मल्ला गोरखपुर
 राम आश्रम लाइन, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 कोनिया, हल्द्वानी।

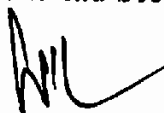
विपक्षी

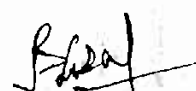
भारत

1. परिवादीद्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "With reference to my Electric Connection No. 387A322107912, I would like to bring the following facts and grievance for your kind attention:-

1. That the undersigned had got a 5 KW solar plant installed in my roof top, work for which was completed in the month August 2023 and a Solar meter was installed on 4th September 2024, vide Book No SECI/H-14 SI- No 21.
2. The first bill after the installation of the net meter was for the duration of 20-9-2023 to 01-01-2024. This bill had a total consumption of 1790 as net import (Import 1795 and export 5) and thus the bill was for Rs 12401.20. This bill also had an addition of Rs 7,396.00 on account of arrears of bill, which should not have been there as the last bill before installation of Solar net meter had been billed on 20-08-2023 for Rs 4,452.00 and paid on 22-08-2023. With a late payment surcharge the total bill amounted to Rs 20,075.00
3. When the bill was reviewed it was found that there were two errors:
 - A total bill of Rs 7396.00 had been billed from 20-8-2023 to 20-9-2023 without any reading as the bill reader did not submit the bill due to Solar net meter installation and the person handling the bill was some other party, hence an average bill had been generated.

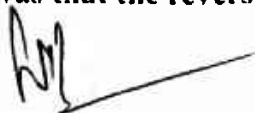
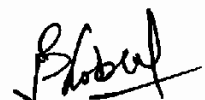






- The Export meter reading of the newly installed meter as in bill book Book No SECI/H-14 SI- No 21, was 5/6 and the reading shown on 01-01-2024 was also 5/6, which implied that the export reading had not moved, hence the meter was not functioning properly.

4. Since the office did not respond to the bill verbally, a complaint was raised to consumer care by email on January 17, 2024.
5. The consumer care complaint had a quick response from Sri Pradeep Kumar, Executive Engineer vide letter dated 23-01-2024 reversing Rs 6981.00 of the bill for the period of 20-08-2023 to 20-09-2023, while suggesting for a check meter for the solar panel reading as the same was correct as per the MRI reading.
6. Thereafter application for check meter was made and money deposited, which resulted in the installation of the check meter vide Book No SECI/H-40 SI. No 23, on 22-02-2024.
7. When the official came to install the check meter, they verbally informed that there was an error during the installation of wiring and hence the export reading was not being recorded, and said hence forth the bill should be correct.
8. While reading was taken in the month of February no bill was sent, nor was it updated in the month of February.
9. The meter reader came on March 6, 2024 for taking reading in the forenoon and in the afternoon a team came for disconnecting the power connection due to non-payment of bills, which created harassment to my mother, as I was not in town. When informed about the complaint and a check meter being installed the team called the officials and when back without disconnecting.
10. Thereafter, the bill for the period 01-01-2024 to 01-03-2024 was received which was again higher probably due to the installation wiring error till check meter installation, i.e. 22-02-2024. Also, the reversal of Rs 6981.00 as informed by the Executive Engineer vide letter dated 23-01-2024 was still not done.
11. A complaint was made by me to consumer care, on my return on March 6, 2024 about the same and for which the response was to meet the local officials.
12. Regular visits by our representative to the officer and letters dated 26-4-2024 and 24-12-2024 enclosed, have failed to have any response nor has the check meter reading been taken to check the meter correctness. The non official version is that there had been a wiring error which should have been noticed by all. How does a consumer know what is being done in the meter being installed?
13. Regular monthly bill came coming which were then in line with the consumption made by us and are acceptable.
14. Thereafter, again on February 6, 2025 a person come to ask for bill payment and while I informed him that the bill is under dispute and a check meter installed for about a year, reading is not being taken he went away. Later on, while we were taking an afternoon nap a team came and disconnected the power connection without information.
15. When in the evening there was no light in our house only and street lights were on it clicked that the power connection may have been disconnected, which was found to be true. Calls were made to the concerned and they were very co-operative to understand the issue in hand, and reinstate the connection within an hour.
16. Executive Engineer Mr. Bisht understood the whole issue and assured an early solution to the same. The result was that the reversal of the first bill of Rs 6981.00

of the bill for the period of 20-08-2023 to 20-09-2023, was made in the bill for the period 01-01-2025 to 01-02-2025, received on 24-02-2025. However, the check meter and comments from the meter division still have not taken place till date.

Sir,

We are three persons staying in the house, myself and my 95 years father a retired Engineer from PWD and my mother aged 85 years, as my children are married and living in Delhi and Bangalore, my wife is with my daughter taking care of her small child for last two years and my brother and sister are abroad. I bring to your knowledge the consumption history of the load usage which is enclosed as Annexure:

As can be seen:

The average usage from Jan 2020 to September 2021 when it was a Single-phase connection was around 493.2 units per month (Annexure B)

The average usage from September 2021 to September 2023, three phase connection till solar power was 535 units per month. (Annexure B)

While in the case of Solar power the consumption in the initial months have been 1790+2172 (generated as per the app) 3962 for Sept to Dec 2023.

The bill for Jan and Feb 2024 is 391+1046 (generated as per the app) = 1437 units.

Both the above readings are much higher than the average consumption at home. Which makes it 1790+2172+391+1046=5399 units /5.33 1012 units per month much above the average. (Annexure C)

Over the period request for the bill correction as the initial meter has an installation error, as per the staff, the readings also need to be co-related with the check meter, which the department has not done since its installation on 22-10-2024.

I would like to your kind notice the following to conclude:

- A- With 10166 units generated over a period of 17 months and taking an average consumption of 535 units the total consumption of the house from September 2023 to February 2024 (17 months) will be 535 x 17=9095 units. This implies that there would be a surplus of 10166-9095=1071 units.

The consumption after the correction in the wiring when the check meter was installed shows the following consumption from March 2024 to March 2025

Duration of bill	Gross import	Gross Export	Net bill
01-03-24 to 01-03-25	6182	5470	712+Solar generated 6948 Gross 712-6948=7660 units Average 638 units.

This implies that the meter installed did not give correct readings, while the initial wiring was incorrect hence the exports from September 2023 to March 2024 was incorrect.

- B- Comparing the bills for September to February after solar installation:

Duration of bill	Gross import	Gross Export	Net bill
20-09-23 to 01-03-24	1795+515	0+124	1790-391=2181
01-09-24 to 01-03-25	2034	2567	-533

[Signature]

[Signature]

[Signature]

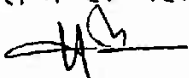
From the above co-relations also, it can be seen that the billing during the same period of 2023-24 is 2181 while that of 2024-25 is-533, while generation is nearly same i.e. 3218 and 3127 respectively. This includes the marriage of my son in January 2025 and hence extra consumption in Jan 2025.

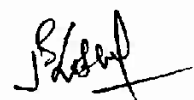
Prayer:

Request the Forum to look into the matter and take a judicious decision on the bills for the duration 20-09-2023 to 1-1-2024 and 01-01-2024 to 01-03-2024, enabling the submission of the payment and clearance of the long outstanding payments due."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के अनुसार कि उनके परिसर पर सोलर मापक 4 सितम्बर 2024 का स्थापित हुआ जिसके उपरान्त प्रथम बिल अवधि 20.09.2023 से 01.01.2024 तक ₹ 20075.00 निर्मित हुआ जिसमें उक्त अवधि में त्रुटिपूर्ण बीजको के विरुद्ध ₹(-) 7835.00 समायोजित किया गया। इस सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गयी की प्रश्नगत अवधि उनके परिसर पर खराब मापक/खराब वाईरिंग के कारण Export units निर्मित कम हुई जिसके कारण उनका बिल अधिक बना। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है सोलर मापक स्थापन के समय Vendor द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर मूल मापक के साथ-साथ चैक मापक भी स्थापित किया जाना चाहिए परन्तु उक्त प्रश्नगत अवधि में एक ही मापक स्थापित होने कारण यह आकलन कर पाना कि सम्भव नहीं है कि उस अवधि में कितनी Export units निर्मित हुई।
3. पक्षिदी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 21.05.2025 में कहा गया है कि "Thank you for the email and the views of the Executive Engineer. As a customer the same meter is working well when a check meter installation was requested in view of abnormal bill. The customer is not a fault if a check meter is not installed immediately on installation of a connection. Authorities should not allow installation and commissioning of a new unit without a check meter. As mentioned earlier, the team which came to install the check meter informed that there was error in installation of the meter, which resulted in the difference in outgoing units. Further, had the first reading been taken within a month instead on three months the problem would have been identified within a month of installation. The question is not of a defective meter but an error in wiring which resulted in the bill. For consideration of the request based on the subsequent consumption. Hope for kind consideration."
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 की तिथि नियत की गई थी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गए तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा कहा गया है कि उन्हें अक्टूबर से फरवरी 2023 तक सोलर जनरेशन शून्य दिखाया गया है जिसके लिये उपभोक्ता की गलती नहीं है यह यू0पी0सी0एल0 की कमी रही है कि समय पर बिल नहीं दिया गया। जल्दी बिल दिया जाता तो जो भी फॉल्ट था उसे यू0पी0सी0एल0 जल्दी दूरस्त कर देता। विपक्षी द्वारा कहा गया कि उक्त अवधि में सोलर उत्पादन का कोई डाटा उपलब्ध ही नहीं है ऐसे में उत्पादन की गणना किया जाना संभव नहीं है। मंच





द्वारा विपक्षी को नि देखि किया जाता है कि परिवादी के दोनों मीटर की MRI प्रस्तुत करे।

5. प वरिदी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित जून 02, 2025 में कहा गया है कि "Thanks for the time spared for the delineation held on May 26, 2025 As desired efforts were made to retrieve the signed agreement related to the MoU for the solar plant. The Govt of India web site does not have the agreement with the Uttarakhand Power Corporation in their web site.

Enclosed is the draft document which was received for signing through the vendor.

Request the attention of the Hon'ble members to the following

1. Kindly refer to clause 3.1 wherein the metering would be by a single or or two sets of identical meters. The first is by the vendor and the second is by UPCL.
While the vendor meter was installed the UPCL did not install the second check meter.

2. Cl 3.9 3.1 The Joint meter reading/MRI report of the Bill Meter shall form the basis for the energy account, provided that the magnitude (i.e. absolute value) of the difference between the Check and Bill Meter reading should be not more than 0.4 % (point four percent) of the Bill Meter reading.

The check meter on request was installed on 22nd Feb 2024. However, till date the reading of the check meter has not been taken. Hence, even after complaint the installed check meter has not been used to take readings.

3. Cl 4.2 Billing has to be on a monthly basis and should be done on or before 5th working day of the following month-Jointly

The first reading bill was for the period from 20.9.2023 to 01.01.2024. Hence the error in reading was known after 3 months.

The second bill was from 1.1.2024 to 1.3.2024.

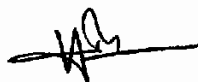
The check meter was installed on 22.02.2024.

The comparison of the bills is enclosed for the period of September 2023- March 2024 and September 2024- March 2025 (Sheet enclosed)

As can be seen the generation as per the app in 2023-24 [2172+1046 = 3218] has been higher than the generation during 2024-25 [500+551+506+532+501+537 = 3127].

All bills during 2024-25 are negative except for the month of January 2025, which is agreeable on account of the marriage of my son and hence the higher consumption of energy.

4. In addition as per Clause 2.2 - The retail tariff, as per tariff orders of the Commission, in respect of the supply of electricity to the consumers by the distribution licensee shall be applicable for the net energy supplied by the licensee in a billing period if the supplied energy by the licensee is more than the energy injected by the roof-top solar PV source of Mr. KRISHNA KUMAR PANDE However, such consumer shall be exempted from payment of monthly minimum charges/monthly minimum consumption guarantee charges, if any, equivalent to the capacity of Roof Top Solar PV plant installed at the premises. Further no open access charges including surcharges shall be leviable on such





eligible consumers for the captive use of power. Minimum charges on a monthly charge are also not payable in certain months, which need to be reversed.

Hon'ble members,

As discussed to have an amicable settlement I propose that

1. If the first bill had been raised in the month of October, the issue would have been known after the billing cycle of October 5, 2024 and action for the check meter would have been taken.

Thus I am ready to pay 1/5 of the total of the first two cycles of billing till the check meter was installed in February 2024. [i.e 20.9.23 to 1.1.24 and 1.1.24 to 1.3.24]

2. Remove the late penalty charges from the bills.
3. Apply clause 2.2 for exemption of minimum monthly charges in the month applicable.
4. request the UPCL to take the check meter meter reading for future consideration.
5. Release the payment for the check meter as per the clause 3.2

Since I am travelling due to some family issues, I request a date in the next week."

5. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 05.06.2025 की तिथि नियत की गयी। विपक्षी प्रतिनिधि उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा मंच के समक्ष MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी व प्रतिउत्तर/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.06.2025 की तिथि नियत की गयी।

6. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 14.06.2025 में कहा गया है कि "With reference to the letter and the enclosed comparison of the readings of the main bill meter and check meter the following is seen when comparing the monthly readings of both the meters.

1. The main meter was installed on 4-9-2023 and check meter on 22-02-2024
2. The comparison chart is enclosing the details from July 1, 2024.

However, the comparison of the main meter and check meter shows that the check meter is working in an erratic manner when comparison is made on a month-to-month basis.

The following is the comparison as provided by the department:

Period of Reading of Solar Meter		Main meter	Check meter
1-07-24	1-08-24	53.64	- 348.70
1-08-24	1-09-24	29.02	426.80
1-09-24	1-10-24	- 92.57	- 94.50
1-10-24	1-11-24	-210.70	-1211.90
1-11-24	1-12-24	-140.33	857.90
1-12-24	1-01-25	- 55.38	- 56.80
1-01-25	1-02-25	130.07	128.30
1-02-25	1-03-25	-164.60	- 165.80
1-03-25	1-04-25	-408.94	- 410.10
1-04-25	1-05-25	-491.09	- 491.80
1-05-25	1-06-25	-110.84	- 112.70
	Gross	-1461.72	-1479.30
	Difference		17.58
	Percentage Difference		1.20%

Permissible Limit

0.40%

A glance of the above will show that while the overall reading taken from 1-7-2024 to 1-6-2025, has a variation of only 17.58 units which is 1.20% (against permissible limit of 0.40%, there is a huge difference in the monthly readings which shows the erratic behavior of the check meter.

Period of Reading of Solar Meter		Main meter	Check meter	% variation
1-07-24	1-08-24	53.64	- 348.70	750.07
1-08-24	1-09-24	29.02	426.80	1370.71
1-09-24	1-10-24	- 92.57	- 94.50	2.08
1-10-24	1-11-24	-210.70	-1211.90	475.18
1-11-24	1-12-24	-140.33	857.90	711.34
1-12-24	1-01-25	- 55.38	- 56.80	2.56
1-01-25	1-02-25	130.07	128.30	1.36
1-02-25	1-03-25	-164.60	- 165.80	.73
1-03-25	1-04-25	-408.94	- 410.10	.28
1-04-25	1-05-25	-491.09	- 491.80	.14
1-05-25	1-06-25	-110.84	- 112.70	1.68
Total billing		-1461.70	-1479.30	

The above shows that the variation is as high as 1370.71 % in the month of 1-8-24 to 1-9-24 billing. While the main meter shows a consumption of 29.02 units the check meter shows a reading of 426.80 units which is 1471.71 times the main meter.

Other example of the erratic reading is the month of 1-10-2024 to 1-11-2024 where the main meter shows a outflow of 210.70 units which the check meter shows an outflow of 1211.90 units. During the month the generation as per the company app is 511 units. In any case in a normal month the generation as per thumb rules is a maximum average of 25 units per month which means 750 units in a month. Hence after consumption 1211.90 units cannot be exported. It is to be noted that the maximum generation as per the app since installation is 761 units in the month of April 2024.

While the overall bill is comparable with a variation of only 17.58 units or 1.20% it implies that the MRI readings taken have some error as more variation in a month will not get adjusted in the next month.

As mentioned earlier the point of reference are the first two bills for a decision. Now we can compare three available options as follows:

A- Main meter reading during same period in the next year:

1-9-2024 to 1-3-2025

Period of Reading of Solar Meter		Main meter
1-09-24	1-10-24	- 92.57
1-10-24	1-11-24	-210.70

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1-11-24	1-12-24	-140.33
1-12-24	1-01-25	- 55.38
1-01-25	1-02-25	130.07
1-02-25	1-03-25	-164.60
Gross bill units	A	-533.51

B- Check meter reading during same period in the next year:

1-9-2024 to 1-3-2025

Period of Reading of Solar Meter		Check meter
1-09-24	1-10-24	- 94.50
1-10-24	1-11-24	-1211.90
1-11-24	1-12-24	857.90
1-12-24	1-01-25	- 56.80
1-01-25	1-02-25	128.30
1-02-25	1-03-25	- 165.80
Gross bill units	B	-542.80

Taking minimum of the two would mean a bill of - 533.51 units

C- Non Solar Billing during same period in the previous year:

13-9-2022 to 19-3-2023

Period of Reading of Solar Meter		Check meter
13-09-22	12-10-22	346
12-10-22	17-11-22	284
17-11-22	23-12-22	335
23-12-22	18-01-23	509
18-01-23	21-02-23	482
21-02-23	19-03-23	213
Gross bill units		2171 units
Generation in 2023-24 (9/23 to 3/24)		3930
Generation in 2024-25(9/24 to 3/25)		3858
Taking lesser of two 2171-2858 = C		-1687 units

From the above it can be seen that taking into consideration the trend of consumption of bills prior to the installation of solar panel during the same period and in the next year the following are the three cases:

- A. Main meter reading during same period in the next year: -533.51
 B. Check meter reading during same period in the next year: -542.80
 C. Non Solar Billing during same period in the previous year: -1687.00

From the above it can be seen that in both the main meter and check meter the cumulative bill for the period of comparison from July 2024 to May 2025 is negative [- 1461.70 in case of main meter and -1479.30 in case of check meter]

Also since the issue in the billing month was that the export meter did not move and the initial and close readings were 5, hence the total bill of 1790 units less generated as per app 2172 also makes it - 382 units (2172-1790) - D

Since the check meter has also given erratic readings, and taking into consideration the above fact:

Prayer:

Pray that the benefit be given to the consumer, based on factual data as mentioned above:

- 1- Either consider the billing for the complete duration of the disputed bill period as Zero, [September 2023 to March 2024] and the balance bills will be paid.

OR

- 2- The bill for the period September 2023 to March 2024 be revised with the minimum of the above four [A -533.51; B -542.80; C -1687 and D -382] i.e -382 units.

- 3- That the benefit of the Clause 2.2, be given in the bills which reads as:

The retail tariff, as per tariff orders of the Commission, in respect of the supply of electricity to the consumers by the distribution licensee shall be applicable for the net energy supplied by the licensee in a billing period if the supplied energy by the licensee is more than the energy injected by the roof-top solar PV source of Mr. KRISHNA KUMAR PANDE However, such consumer shall be exempted from payment of monthly minimum charges/monthly minimum consumption guarantee charges, if any, equivalent to the capacity of Roof Top Solar PV plant installed at the premises. Further no open access charges including surcharges shall be leviable on such eligible consumers for the captive use of power.

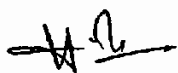
- 4- To wave off the late charges in the bills

I am sure that due consideration would be given to the fact that the meters have been functioning erratically and benefit given to the consumer so that the bills can be settled at an early date."

7. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 23.06.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन के पश्चात मंच को इस प्रकार का कोई भी तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया कि शिकायतकर्ता के परिसर पर दिनांक 04.07.2023 को सोलर प्लांट लगने के बाद से दिनांक 22.02.2024 तक विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था तथा कितना उत्पादन हुआ।

मंच द्वारा Uttarakhand Power Corporation Limited (DISCOM) और Mr. KRISHNA KUMAR PANDE के मध्य हुए POWER PURCHASE AGREEMENT, (जिसकी प्रति परिवादी द्वारा मंच में प्रस्तुत की गयी) का अवलोकन किया गया। इस अनुबन्ध का बिन्दु संख्या 12 Dispute and Arbitration निम्नवत है:-

"If any dispute arises regarding billing or payment of Net energy, or difference between the parties concerning performance of this agreement and/or the rights





and liabilities of the parties in respect of which a procedure for the resolution is not otherwise provided for in this agreement, the authorized representative of the Grid Interactive Rooftop and small Solar PV Plant and Chief Engineer (Commercial), UPCL shall mutually decide the remedy and that shall be the part of this agreement. The final decision of Chief Engineer (Commercial) shall prevail.

If the said dispute/dissatisfaction remains unresolved, after 30 working days either party can file a petition before UERC, whose decision will be final and binding on both the parties. UERC shall be empowered to determine the exact nature and modalities of the procedure to be adopted in resolving the matter "

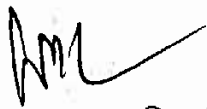
उपरोक्त चर्चा के आधार पर मंच के मंच में इस प्रकरण में कोई भी आदेश पारित किए बिना वाद समाप्त किया जाना उचित होगा।

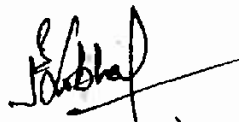
आदेश

—पक्षी एवं परिवादी के —ची हुये POWER PURCHASE AGREEMENT के बिन्दु संख्या-12 के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 18.08.2025

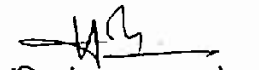

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

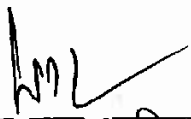

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

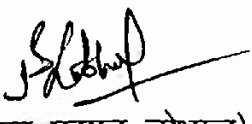

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित

दिनांक:- 18.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-75/2025

पंजीकरण तिथि:-27.05.2025

निर्णय की तिथि:- 02.08.2025

ओम प्रकाश साह गंगोल,
योगानंद भवन, पनचक्की चौराह के पास, हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

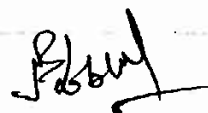
विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि My new solar electric meter was installed on 16/01/2025. The export electric units are displayed zero, however import readings are shown. No electric bill is generated since January 25. No official visited my place despite various phone calls and official complaint at 1912. Kindly look into the matter.
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है:-
 1. उपभोक्ता के परिसर में सोलर मापक दिनांक 16/01/2025 को स्थापित किया गया था। दिनांक 04/06/2025 को सोलर मापक की सीलिंग भी ऑनलाइन में अपडेट कर दी गयी है

2. उपभोक्ता के परिसर में लगा मापक किसी तकनीकी खराबी के कारण एक्सपोर्ट की रीडिंग नहीं दे रहा है। जिसके लिए सोलर स्थापित करने वाले वेंडर को दूरभाष पर सोलर मापक को चेक मापक के द्वारा बदलने को कहा गया। तत्काल ही वेंडर द्वारा मापक चेक कर लिया गया है, और उपभोक्ता को बता भी दिया गया है की चेक मापक का शुल्क जमा कर ही आपका मापक बदला जायेगा। उपभोक्ता के मापक की MRI भी करवायी गयी है।
3. क्योंकि सोलर मापक एक्सपोर्ट की रीडिंग नहीं दे रहा था इसी कारण माह 01/2025 से बिल बनाना संभव नहीं हो पा रहा था।
4. चेक मापक का शुल्क जमा होते ही नया मापक स्थापित कर दिया जायेगा साथ ही औसत यूनिट्स के आधार पर उपभोक्ता का बिल संसोधन कर दिया जायेगा।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने अतिरिक्त पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के सोलर मापक में चेक मापक स्थापित करवा दिया गया है। जिस सम्बन्ध में उपभोक्ता को भी सूचित कर दिया गया है। अतिशीघ्र ही उपभोक्ता के सोलर मापक में चेक मापक की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम कार्यवाही कर दी जाएगी।
4. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि Kindly refer to my complaint dated 27 May 25 and your reply reference 295/CGRF/Kumaoun Zone/Hld./75/2025 dated 05/06/2025, copy enclosed.
Reference is made to the power purchase agreement point 3.2 of the metering agreement (Copy enclosed). The same is stipulated below:
3.2 The Grid Interactive Rooftop and small Solar PV Plant shall bear the cost of installing new/additional meter/metering system. Moreover Check Meter and related equipments (if required) can also be procured by such plant owner, however, the cost of Check Meter shall be refunded by the licensee to such plant owner. The cost of the check meter to be refunded would be, lower of the following:
A. Actual cost of meter; or
B. Highest rate discovered through Competitive Bidding Process of licensee escalated by 25%.
It is therefore requested that the amount paid by me Rs 3500/- (copy of bill attached), towards purchase of check meter may be refunded to me.
5. विपक्षी/विभाग द्वारा अपनी आख्या में बताया गया है कि अधिशासी अभियंता विधुत वितरण खंड (ग्रामीण) व अधिशासी अभियंता परिक्षण खंड हल्द्वानी तथा वेंडर के टेक्निकल कर्मचारी को साथ लेकर एक संयुक्त रूप से परिक्षण हो गया साथ ही उपभोक्ता का मापक ठीक भी कर दिया गया है। वेंडर के टेक्निकल कर्मचारी द्वारा प्लांट को स्थापित करने के दौरान कनेक्शन करने में त्रुटी की गयी थी। जिसे ठीक करा लिया गया है। वर्तमान में सोलर मापक इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट की सही रीडिंग बता रहा है। उपभोक्ता से दूरभाष पर जानकारी ली गयी जोकि पूर्णतः संतुष्ट हैं।



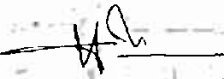


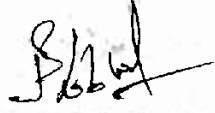
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी एवं परिवादी के वेंडर द्वारा परिवादी की नेट मीटर/विद्युत उत्पादन संबंधी शिकायत दूर कर दी गई है। परिवादी द्वारा चैक मापक की रसीद भी मंच में प्रस्तुत की गयी, जिसे विपक्षी को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। परिवादी एवं विपक्षी के मध्य हुए PPA के बिंदु 3.2 के अनुसार चैक मापक खरीद की धनराशि परिवादी के आगामी बीजक में समा ^{योजित} किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को संशोधित बीजक हस्तगत कराये तथा परिवादी द्वारा खरीदे गये चैक मापक की राशि परिवादी के आगामी विद्युत बिल में समायोजित करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

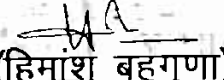
दिनांक:- 02.08.2025

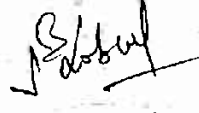

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 02.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत विचारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-85 / 2025
 पंजीकरण तिथि-30.06.2025
 निर्णय तिथि-02.08.2025

आशीष नैलवाल
 C/o जय कृष्ण नैलवाल
 आमगढ़ी, कोटाबाग
 रामनगर
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशारी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प बिाद पत्र में कहा गया है कि "I am writing to escalate a serious issue regarding excessively high electricity meter readings at the following address:

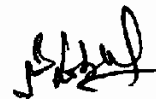
- Connection number: RR1N123084156
- Meter Number: 50075010
- Address: Amgari, Kotabag, Ramnagar, Nainital
- Registered Name: Jai Krishan

Since March 2025, our meter readings have been abnormally high, despite very low power usage (only 2 LED bulbs and one phone charger used 4-5 hrs/day). Our historical usage was about 8-10 units/month, but it has now jumped to 118 units, without any increase in usage or new appliances. This points to either:

- A faulty meter, or
- Incorrect manual reading by the meter reader.

I previously tried raising this issue through your consumer portal (screenshots attached), but the complaint tab is not functional. I have also emailed customercare@upcl.org but received no response. I also tried the customer care number, but that too seems unresponsive. Kindly initiate an urgent meter inspection and testing, and rectify the bill accordingly. Please also provide a written confirmation of the action taken."

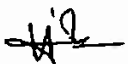


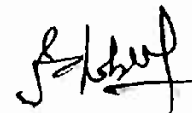


2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 26.06.2025 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के विद्युत बिलों के अवलोकन करने पर पूर्व के बिल 118 यूनिट, 68 यूनिट, 62 यूनिट, 29 यूनिट, 6 यूनिट के बने हैं। उपभोक्ता के मीटर को चैक करने हेतु शिकायत 22406250660 पंजीकृत कर ली गई है, उपभोक्ता को ₹ 100.00 जमा करने हेतु अवगत करा दिया गया है। चैक मापक फीस जमा हो जाने के उपरांत वास्तविक स्थिति के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 30.06.2025 "As per directed the fee for check meter has been paid via GPAY UPI, and the necessary screenshot has been attached with this email. So, kindly take the further action and provide the resolution as soon as possible."
4. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 05.07.2025 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा चैक मापक शुल्क जमा कर दिया गया है, उपभोक्ता का परिसर काफी दूर-दराज में स्थित है वर्षा ऋतु तथा नदी-नालों का रास्ता होने के कारण से मापक स्थापित करने में समय लग रहा है। चैक मापक स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः माननीय फोरम से अनुरोध है कि चैक मापक स्थापित करने का और समय प्रदान करने का कष्ट करें।
5. परिवादी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा है कि "Kindly guide me whether I should pay the bill of Rs. 564 for the month of June 2025 or not, or should I wait for the final call for the situation."
6. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 28.07.2025 की तिथि नियत की गई परन्तु विभाग/विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि त्रिस्तरीय निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया के तहत विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 24.07.2025 से 31.07.2025 तक निर्वाचन चुनाव में की गयी है जिस कारण वादों में उत्तर पत्र प्रस्तुत करना व सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं है।
7. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 02.08.2025 की तिथि नियत की गयी। विभागीय प्रतिनिधि (उपखण्ड अधिकारी) उपस्थित परिवादी अनुपस्थित, सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि चैक मीटर लगाया गया दिनांक 01.08.2025 को मीटर बदल दिया गया है। और परिवादी का बिल माह जून से पूर्व के तीन बिलों के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
8. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत पर मीटर शुद्धता जांच की गयी। विपक्षी का कहना है की शुद्धता जांच में काफी अधिक अन्तर आया है अतः मीटर को आई0डी0एफ0 मानकर समायोजन दिया जा सकता है। परिवादी को दूरभाष पर सुना गया। परिवादी का कहना है कि उनका बिल मार्च के बाद से बढ़कर आ रहा है चैक मापक में अन्तर आया है तो उन्हें अप्रैल, मई व जून के बिल में आई0डी0एफ0 आधार पर समायोजन प्रदान किया जाता है तो यह न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के अप्रैल माह से जून माह तक के ~~बिल~~ बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों के औसत आधार पर संशोधित करें। साथ ही दिनांक 14.06.2025 से चैक मापक स्थापना की तिथि तक





का बीचक भी इसी औसत आधार पर संशोधित किया जाये। बैंक मापक स्थापना के बाद का बीचक वास्तविक रीटिंग पर जारी किया जाये। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन 30 दिन के भीतर मंत्र में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना बाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवारी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निर्णय औम्हदसमेन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक:-02.08.2025

(हिमांशु बहृगुणा)
(सदस्य (उपमांक्ता))

(विष्णु प्रसाद जोषाल)
(सदस्य (न्यायिक))

आज यह निर्णय खुले कोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांक:-02.08.2025

(हिमांशु बहृगुणा)
(सदस्य (उपमांक्ता))

(विष्णु प्रसाद जोषाल)
(सदस्य (न्यायिक))

वि० उ० शि० नि० म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता क्लायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

पंजीकरण संख्या-97/2025

पंजीकरण तिथि-26.06.2025

निर्णय तिथि-20.08.2025

भूपाल सिंह

परिवादी

शिवपुरी जवाहर ज्योति

दमवाढूंगा, हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

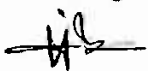
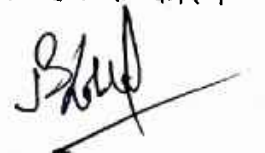
हीरानगर, हल्द्वानी

निर्णय

1. पंजीकरण संख्या-97/2025 द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैं श्री भूपाल सिंह राणा शिवपुरी, जवाहर ज्योति दमवाढूंगा का हूँ। मेरा विद्युत कनेक्शन संख्या-392E224145563 है। मेरा विद्युत मापक जनवरी माह में खपत से अधिक यूनिट दे रहा था। तथा फरवरी माह में भी अधिक बिल आया जिस पर हमारे द्वारा चैक मापक लगाया गया जिस समय मेन मीटर की रीडिंग 12130 थी तथा चैक मापक की रीडिंग 00 थी। उस दिन विभाग द्वारा सीलिंग में दिखाया गया है। और कुछ समय बाद हमारे द्वारा दोनों मापकों की रीडिंग ली गई उस दिन तारीख 08.03.2025 को हमारे द्वारा दोनों मापकों की फोटो खींच कर रखी है जिस पर मेन मापक की रीडिंग 12154 थी तथा चैक मापक की रीडिंग 10 थी। विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2025 को मापक चैक कर के बाद मीटर की रीडिंग 12148 दिखाई गयी है जो गलत है। उसी दिन मीटर रीडर द्वारा मापक की रीडिंग कर 12153 दिखाई है। इसक बाद CM Help Line में शिकायत करने के बाद विभाग द्वारा MRI कराई तथा उसकी रिपोर्ट हमको नहीं दी। पुनः चैक मापक लगाया

जो विभागीय लैब द्वारा चैक नहीं किया गया था। अतः महोदय से अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान कराया जाय।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.07.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के द्वारा अपने विद्युत बिल संयोजन संख्या-392F224145563 में अपने विद्युत के अधिक आने तथा संशोधन हेतु कहा गया था। उपभोक्ता के बिल का पूर्व से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उपभोक्ता का घर बंद होने की दशा में मीटर रीडर द्वारा सही से रीडिंग नहीं हो पाई थी। चैक मापक द्वारा भी मुख्य मापक को सही बताया गया है। किन्तु बिल में हो सकने वाले संशोधन के अनुसार बिल को पूर्व से संशोधित कर दिया गया है। अतः वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 14.07.2025 में कहा गया है कि विद्युत विभाग द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। जो चैक मापक लगाया गया था वह सही रीडिंग दे रहा था विभाग द्वारा हमको गलत बताया गया। जब मापक लगाया गया जिसकी रीडिंग 12130 थी। चैक मापक की रीडिंग 00 थी दिनांक 28.02.2025 को कुछ दिन बाद हमारे द्वारा दिनांक 08.03.2025 को मापक की रीडिंग ली गई तथा फोटो भी ली गई जिसकी रीडिंग 12154 थी तथा चैक मापक 10 यूनिट पर था। विभाग द्वारा मापक को चैक कर दिनांक 11.03.2025 को 12148 तथा चैक मापक 15 यूनिट दिखाया था। तब विभाग द्वारा दिनांक 10.03.2025 को विद्युत बिल बनाया गया था जिसकी रीडिंग 12153 थी। विद्युत मापक परिसर के बाहर लगाया गया है ताकि विभाग को विद्युत बिल बनाने में परेशानी न हो। विभाग द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। महोदय से अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान कराने की कृपा कीजिएगा।
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 29.07 2025 की तिथि नियत की गई परन्तु विभाग/विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि त्रिस्तरीय निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया के तहत विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 24.07.2025 से 31.07.2025 तक निर्वाचन चुनाव में की गयी है जिस कारण वादों में उत्तर पत्र प्रस्तुत करना व सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं है। परिवादी द्वारा दिनांक 24.07.2025 को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रस्तुत करते हुये सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 01.08.2025 की तिथि नियत की गयी। विभागीय प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुए जबकि परिवादी अनुपस्थित। सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-392E224145563 के मापक संख्या-EM50576872 में चैक मापक लगाया गया था। जिसके रिपोर्ट के अनुसार पुराना मापन सही चलता पाया गया है। और यदि उपभोक्ता के बिलों का माह 11/2024 से पूर्व के बिलों का अवलोकन किया जाए तो औसतन 179 यूनिट प्रतिमाह का विद्युत उपभोग होता ही है। शिकायतकर्ता का परिसर अधिकतर बंद रहने के कारण

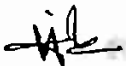
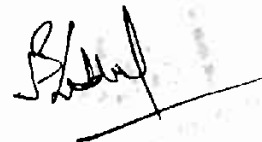



मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग कभी कम — कभी ज्यादा की गयी है। माह 12/2024 में 54 यूनिट्स तथा माह 01/2025 में 150 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया है। अतः उपभोक्ता का बिल सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री भी मंच में प्रस्तुत की गयी।

6. दिनांक 20.08.2025 को उभय पक्ष सुनवाई हेतु मंच में उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.07.2025 को परिवादी का बिल संशोधित किया गया था। संशोधित गणना सुनवाई के समय विपक्षी द्वारा परिवादी को भी दिखाई गई जिस पर परिवादी ने संतुष्टि जताई। परिवादी ने सीलिंग प्रमाण पत्रों की प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसके यहां दो बार चैक मीटर लगाया गया। पहली बार दिनांक 11.03.2025 को जब चैक मापक फाईनल किया गया तो सीलिंग पर उनके हस्ताक्षर नहीं कराए गये। सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार मेरा मापक 20 फीसदी तेज चलता पाया गया। जबकि सीलिंग में दोनों मापक बराबर चलते पाए गये लिखा गया है, यह उपभोक्ता के साथ धोखा है। दूसरी बार 20.03.2025 को चैक मापक लगाया गया लेकिन उस चैक मापक को फाईनल ही नहीं किया गया और बिना फाईनल किये ही उसे उतार दिया गया। आज विपक्षी चैक मापक फाईनल की सीलिंग लेकर आये हैं किंतु उसमें भी मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं और ना ही कंज्यूमर हिस्ट्री (जो विपक्षी ने ही प्रस्तुत की है) में चैक मापक रिपोर्ट फीड की गयी है। जो फाईनल रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की जा रही है उसमें मेरा मापक 1.48 फीसदी फास्ट दिखाया जा रहा है। ऐसी दिशा में मेरा वर्तमान मीटर तत्काल बदला जाये।

7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक सीलिंग प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 11.03.2025 को फाईनल किये गये चैक मीटर के अनुसार परिवादी के मापक की खपत 18 यूनिट तथा चैक मापक की 15 यूनिट रही है, अर्थात् परिवादी का मापक 20 फीसदी तेज चल रहा था परंतु सीलिंग प्रमाण पत्र में बराबर लिख दिया गया तथा चैक मापक फाईनल करते समय सीलिंग प्रमाण पत्र पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर भी नहीं कराए गये हैं। दूसरी बार जब दिनांक 20.03.2025 को चैक मापक लगाया गया तो उसे 20.05.2025 को फाईनल किया गया। इस बार भी चैक मापक फाईनल करते समय सीलिंग प्रमाण पत्र में उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं कराये गये। इस बार परिवादी का मापक 1.48 फीसदी तेज चलता पाया गया। इस प्रकार विद्युत पक्षणी खंड द्वारा माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के नियमों का उल्लंघन करते हुए पहली बार चैक मापक फाईनल रिपोर्ट मनमाने तरीके से तैयार की गयी तथा दूसरी बार चैक मापक फाईनल रिपोर्ट को कम्प्यूटर सिस्टम में फीड ही नहीं किया गया तथा दोनों ही बार चैक मीटर फाईनल करते समय उपभोक्ता के हस्ताक्षर नहीं कराए गये। साथ ही दोनों बार परिवादी का मीटर तेज चलता पाया गया

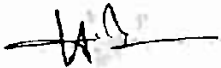



हालांकि यह अंतर अलग-अलग 20 प्रतिशत एवं 1.48 प्रतिशत रहा है, अतः परिवादी की मीटर बदलने की मांग तर्कसंगत है तथा उसका मीटर तत्काल बदला जाना न्यायसंगत होगा। मीटर परीक्षण खंड की मनमानी पर अंकुश लगाये जाने एवं उचित का रवाई की अपेक्षा के साथ इस निर्णय की प्रति अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल, हल्द्वानी एवं मुख्य अभियंता (वितरण), कुमाऊं जोन, हल्द्वानी को भी प्रेषित की जाये।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का मापक तत्काल बदलकर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 20.08.2025



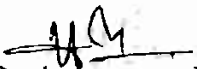
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



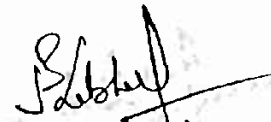
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में निश्चित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-20.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिगु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-100 / 2025

पंजीकरण तिथि:-27.06.2025

निर्णय की तिथि:- 01.08.2025

पंकज कबड्वाल पुत्र भुवन चन्द्र कबड्वाल,
दुकान नम्बर-08, पहली मंजिल दुर्गा सिटी सेंटर,
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल,

पक्षी दी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

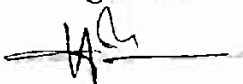
विद्युत वितरण खण्ड

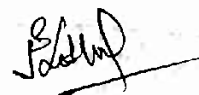
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी (नगर)।

निर्णय

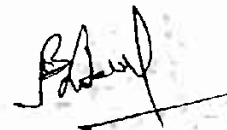
1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है: कि मैं उपरोक्त खाता संख्या का उपभोक्ता हूँ और पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से बिल का भुगतान कर रहा हूँ। सामान्यतः गर्मियों के मौसम में मेरी औसत मासिक खपत लगभग 650 से 750 यूनिट तक रहती है। किन्तु, माह 23/05/2025 से 23/06/2025 की बिलिंग अवधि में मेरे उपरांत 1769 यूनिट की खपत दर्शाई गई है, जो कि सामान्य खपत से लगभग ढाई गुना अधिक है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वर्तमान में कार्यालय में 'फूरेलोड' के साथ प्रतिदिन लगभग 11 से 12 यूनिट की खपत होती है। मैंने प्रतिदिन की रीडिंग का अवलोकन किया है, जिसकी सूची संलग्न है। यदि औसतन 12 यूनिट प्रतिदिन के अनुसार गणना करें, तो 31 दिनों में कुल 372 यूनिट की वास्तविक खपत बनती है। इस आंकड़े में रविवार व अन्य छुट्टियाँ भी शामिल हैं, जिन दिनों कार्यालय 'पूर्णरूप' से बंद रहता है। इसके अतिरिक्त, पिछले माह भी रीडिंग 705 यूनिट दर्शाई गई थी, जो कि अपेक्षित खपत से अधिक थी और तब भी संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हुई थी महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने चेक मीटर लगाए जाने हेतु आवेदन किया था, जिसकी रसीद संलग्न है, किन्तु आज दिनांक तक चेक मीटर





नहीं लगाया गया है। इससे यह सदेह और भी प्रबल होता है कि वर्तमान मीटर में तकनीकी त्रुटि हो सकती है। अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि कृपया मीटर की जाँच शीघ्रता से करवाई जाए, अत्यधिक बिलिंग की जांच की जाए तथा इस त्रुटिपूर्ण बिलिंग से मुझे राहत प्रदान की जाए। यह अतिरिक्त बिलिंग मेरी वास्तविक विद्युत खपत के अनुरूप नहीं है बल्कि मीटर की तकनीकी समस्या के कारण हुई प्रतीत होती है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है।

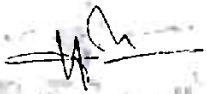
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मापक लगाये जाने हेतु सहायक अभियंता (मापक) को निर्देशित किया गया था, जिनके द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 01.07.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया है, (सीलिंग की प्रति संलग्न है) जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो नगर मानचित्र मंच को प्रेषित किया जायेगा।
3. परिवादी द्वारा अपने पत्र में दिनांकित 07.07.2025 को कहा गया कि **The check meter was installed but the complete cover seal was not done.**
4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 21.07.2025 को मंच में MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 01.07.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया है एवं सहायक अभियंता (मापक) द्वारा दिनांक 18.07.2025 को उक्त मापक की अंतिम रिपोर्ट दी गयी, जिसके अनुसार चैक मापक एवं नए मापक की खपत तबराबर पायी गयी है (प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के मेन मापक की M.R.I. Report एवं बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित है।
5. दिनांक 01.08.2025 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा पत्र दीये मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति पत्र दीये को हस्तगत करायी गई। बिल में माह जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक पत्र दीये भेजे गए बिलों में दर्शाय गई खपत पर परिवादी ने हैरानी जतायी तथा कहा कि यह कम दर्शायी गई है। परिवादी को बिलों का MRI रिपोर्ट से मिलान किया गया तो वास्तव में उपरोक्त चार महीनों में मीटर रीडर ने वास्तविक विद्युत खपत से कम खपत दर्शायी है जिससे जून 2025 के बिल में परिवादी को एकमुश्क अत्यधिक खपत का बिल प्रेषित किया गया। हालांकि यह बिल उचित टैरिफ के आधार पर ही जारी हुआ है परंतु पिछले महीनों में वास्तविक खपत से कम खपत दर्शाकर परिवादी पर जून माह में अत्यधिक बिल का भार पड़ा। उचित टैरिफ पर जारी बिल पर मंच कोई संशोधन नहीं करवा सकता किंतु विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि मीटर रीडर को प्रत्येक बिल चक्र में वास्तविक मीटर रीडिंग नहीं लिए जाने पर भविष्य के लिए चेतावनी जारी करें ताकि उपभोक्ता पर एकमुश्क आर्थिक भार न पड़े। परिवादी ने सुनवाई में कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात संतुष्टि व्यक्त की तथा दोनों पक्षों ने वाद को समाप्त किए जाने का आग्रह किया।



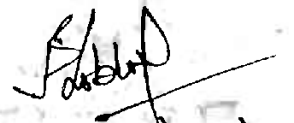
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शंका का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 01.08.2025



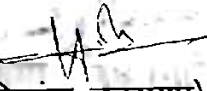
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



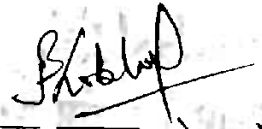
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 01.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

- उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-101/2025

पंजीकरण तिथि-07.07.2025

निर्णय तिथि-28.08.2025

दिनेश चन्द्र बुघानी,
कृष्णा विहार कालौनी,
लोहरियासाल मल्ला, कालाढूंगी रोड,
नियर नैनीताल बैंक हल्द्वानी
जिला-नैनीताल,

परवक्षी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

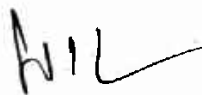
निर्णय

- परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है कि:- I, Dinesh Chandra Bughani, husband of Smt. Kusum Bughani(Account holder) and resident of Krishna Vihar Colony, Lohariyasal Malla, Kaladhungi Road, near Nainital Bank, Haldwani, am writing to formally request the issuance of a hard copy of our electricity bill. We have had a solar electricity panel system operational since November 2024, and since January 2025, we have not received any electricity bill in physical form.

Upon logging into the UPCL website, we noticed a bill of ₹29,000, but there are several discrepancies:

1. Initial and final meter readings are identical, which raises concerns as there was no visit by the meter reading team.







2. There is **no mention of the solar electricity panel or the solar water heater subsidy**.
3. We were previously receiving regular hard copy bills, based on which we made timely payments.
4. After the commissioning of our solar panel system, we were under the impression that electricity charges would significantly reduce or be negligible, which does not reflect in the current bill.

In view of the above, I request your urgent attention and action on the following:

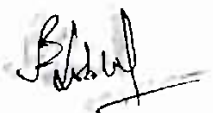
- **Kindly resume delivery of hard copy electricity bills.**
- **Review and correct the current bill reflecting ₹28,600, along with accurate meter readings**
- **Ensure appropriate consideration of solar panel and solar water heater subsidies in billing.**

Please note that **we are unable to make any payment until a corrected and properly detailed physical copy of the bill is issued.**

I am attaching a copy of the current online bill for your reference. Thank you for your cooperation. I hope for a swift resolution to this matter.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के द्वारा अपने विद्युत बिल संयोजन संख्या— 397KS01165103 की बिलिंग के विषय में शिकायत की गयी है, कि सोलर रूफटॉप की बिलिंग नहीं हो रही है साथ ही सोलर वाटर हीटर की छूट भी माह 12/2025 के बाद से बिल में नहीं मिल रही है। अतः उपभोक्ता के बिल 20/06/2025 को सोलर रूफटॉप की सीलिंग फीड कर दी गयी है। इसी माह 07/2025 को MRI के मार्फत रीडिंग का बिल प्राप्त हो जायेगा, साथ ही सोलर वाटर हीटर की छूट NA के बिल में नहीं मिलती है इसी कारण माह 06/2025 का बिल में छूट नहीं मिल पायी है। सोलर वाटर हीटर की छूट पूर्व की तरह ही सुचारु है। क्योंकि किसी भी माह की 06 तारीख के बाद ही बिल बनना प्रारम्भ होता है। अतः बिल बनते ही मा० फोरम तथा उपभोक्ता को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 18.08.2025 को अपने पत्र के माध्यम से कहा गया कि सोलर रूफटॉप की बिलिंग नहीं हो रही है साथ ही सोलर वाटर हीटर की छूट भी माह 12/2025 के बाद से बिल में नहीं मिल रही है। अतः उपभोक्ता के बिल 20/06/2025 को सोलर रूफटॉप की सीलिंग फीड कर दी गयी है। इसी माह 07/2025 को MRI के मार्फत रीडिंग का बिल प्राप्त हो जायेगा, साथ ही सोलर वाटर हीटर की छूट NA के बिल में नहीं मिलती है इसी कारण माह 06/2025 का बिल में छूट नहीं मिल पायी है। सोलर वाटर हीटर की छूट पूर्व की तरह सुचारु है। माह जुलाई का निर्गत बिल संलग्न है।





4. परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र में कहा गया है "Thank you for your prompt action on the grievance raised. As of now, I believe the issue has been resolved. However, the notice for attending the hearing has come at very short notice, and I am currently not available in the nearby region. I would prefer the case to be closed at this stage. Alternatively, if closure is not possible, I kindly request that the hearing be rescheduled, preferably to a date next week."
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की बिल सम्बन्धी शिकायत का समाधान कर दिया गया है तथा परिवारी द्वारा भी विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्ति की गयी है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी मूल शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्ति किए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

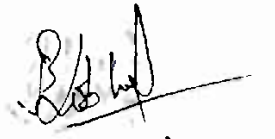
दिनांक:—28.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



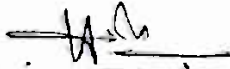
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

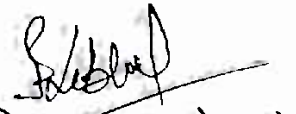
दिनांक:—28.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायीकी)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-102/2025

पंजीकरण तिथि-01.07.2025

निर्णय तिथि-28.08.2025

रविन्द्र सिंह मेहरा
 पुत्र पूरन सिंह मेहरा
 फ्रेंड्स कालौनी
 निकट ट्रांसपोर्ट नगर, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

पवरिदी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "I am writing to express my surprise and concern upon receiving a cumulative electricity bill for 7 months from 18/11/2024 to 01/06/2025 with a total amount of ₹19635. My consumer number is 40114737412 and my address is Friends Colony, Near Transport Nagar, Haldwani. My last bill was also cumulative from 13/04/2024 to 18/11/2024 of amount ₹8730. And the best part is that I didn't got the bill delivered to my address and both time I got notification from GPay as I used to do bill payments through GPay otherwise I wouldn't have known that my bill has been generated. I was expecting to receive monthly bills, but instead, I received a single bill covering 7 months and this is the second time UPCL has done the same with us. This has caused me financial hardship, as I was not prepared to pay such a large amount at one time.

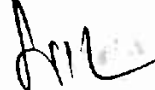
I request you to:

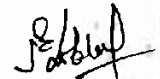
- Explain the reason for the delay in sending monthly bills.
- Monthwise bill details for the time period as the reading from the meter were taken monthly by the department.
- Ensure that monthly bills are sent to me regularly going forward.

I would appreciate a prompt response regarding this matter. Please find the details of the bill below for your reference. Kindly find the attached bills for both time period. You can connect me on call @8588958896 for any other information."

- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 08.07.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिल का पूर्व से ही वर्तमान तक अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि माह







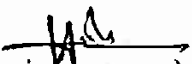
05/2024 से ही बिलिंग नहीं हो पाई है। सोलर मापक की MRI से बिलिंग होने के कारण वर्तमान बिल नहीं बन पाया है। किसी भी सोलर के बिल के संशोधन के लिए वर्तमान बिल का बनना आवश्यक है क्योंकि सोलर का बिल केवल CURRENT BILL REVISION से ही होता है।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 22.07.2025, 04.08.2025 एवं 18.08.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिल का अवलोकन करने से ज्ञात हो रहा है कि इम्पोर्ट अधिक है एक्सपोर्ट कम है। उपभोक्ता के बिल को इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट के अनुसार संशोधित कर दिया गया है (पत्रावली में कागज संख्या-9/1)।
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 25.08.2025 में कहा गया है कि "This is the same reply UPCL has given on 22nd July there is no clarification on how the bill amount is fluctuating so much. What is the clarification on amount ₹8730 which I paid in November 2024 which is not visible in their statement instead they are showing a payment of ₹ 5951 .I have already attached the screenshot in my previous mail. Iam totally dissatisfied with UPCL response as they are not serious about my complaint. Kindly adjust the bill accordingly as per my usage."
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 28.08.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई में परिवादी अनुपस्थित रहे, विपक्षी उपस्थित परिवादी को दूरभाष पर ही सुना गया। विपक्षी द्वारा दूरभाष पर ही सुनवाई के समय परिवादी को बताया गया कि ₹ 8730.00 में से ₹ 5951.00 बिल की राशि के हैं तथा शेष अतिरिक्त जमानत राशि के रूप में जमा हुआ है। इस बिन्दु पर परिवादी द्वारा संतुष्टि जताई गई परंतु बिल अधिक आने की शिकायत की गयी। विपक्षी ने परिवादी को मीटर की शुद्धता जांच हेतु चैक मापक के लिए आवेदन करने की सलाह दी तथा कहा गया कि चैक मापक शुल्क जमा करने के बाद ही नियमानुसार मीटर की जांच की जा सकेगी। वर्तमान में मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल सही है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल संबंधित शिकायत का समाधान करने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-28/08/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-28/08/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-103/2025

पंजीकरण तिथि-03.07.2025

निर्णय तिथि-02.08.2025

डा० विष्णि कुमार मेहरोत्रा
 पुत्र स्व० राज नारायण
 नियर पैट्रोल पम्प
 भवानीगंज रामनगर
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

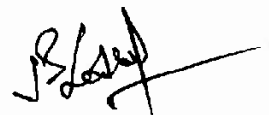
अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 रामनगर।

विपक्षी

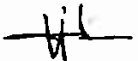
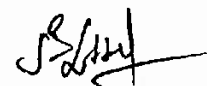
निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मेरे कनैक्शन नं०-RR6 B228012530 पर स्थापित मापक खराब हो गया है। उसमें डिसप्ले नहीं आ रही है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा एस०डी०ओ० यू०पी०सी०एल०, रामनगर (नैनीताल) के यहाँ खराब मापक को बदलने हेतु शिकायत भी दर्ज भी गयी, जिसका रजिस्ट्रेशन नं०-23004250575 है एवं दिनांक 30.04.2024 है। लेकिन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा न तो खराब मापक बदला गया है एवं न ही आज तक मेरा बिल मुझे प्रदान किया गया। एस०डी०ओ० यू०पी०सी०एल०, रामनगर (नैनीताल) के स्तर से कोई कार्यवाही न होने पर मेरे द्वारा एक शिकायती पत्र दिनांक 25.06.2025 को अधिशाली अभियन्ता कार्यालय में दिया गया, परन्तु बड़े ही खेद के विषय है कि उनके स्तर से कोई कार्यवाही आज दिनांक 02.07.2025 नहीं की गयी है। मेरे द्वारा की गयी शिकायत को आज 64 दिन पूर्ण हो गये हैं एवं विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही शून्य है, जबकि UERC (Standard of Performance) Regulations, 2022 के Schedule-1 में दिये गये प्रावधानों के अधीन मापक अधिकतम 30 दिन के भीतर बदल दिया जाना चाहिये था। अतः मेरी माननीय मंच से प्रार्थना है कि मेरे कनैक्शन पर स्थापित मापक को बदलवाने का कष्ट करें एवं मुझे बिल भी प्रदान करवाने का कष्ट करें एवं विभाग द्वारा ससमय मापक न बदलने पर जबकि UERC(Standard of Performance) Regulations, 2022 के Schedule-2 में दिये गये प्रावधानों के अधीन मुझे क्षतिपूर्ति भी प्रदान करने का कष्ट करें।





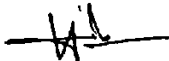
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 10.07.2025 में कहा गया है कि विद्युत संयोजन संख्या RR6B228012530 के खराब मापक को स्मार्ट मापक से बदल दिया गया है (कागज संख्या-3/1)। तथा उपभोक्ता को विद्युत बिल भी निर्गत कर दिया गया है (कागज संख्या-3/2)।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 14.07.2025 में कहा गया है कि प्रार्थी आपको हार्कि धन्यवाद प्रस्तुत करता है। आपके द्वारा की गयी कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा मेरे विद्युत संयोजन पर लगे खराब मापक को बदल दिया गया है एवं मुझे बिल भी प्राप्त हो गया है। मेरे द्वारा बिल भी जमा कर दिया गया है। अब माननीय फोरम से प्रार्थना है कि UERC (Standard of Performance) Regulations, 2022 के Schedule-2 के अनुसार मुझे क्षतिपूर्ति भी प्रदान करने का कष्ट करें, क्योंकि मेरे द्वारा दिनांक 30.04.2025 को खराब मापक बदलने की प्रार्थना पंजीकृत किये जाने के बाद दिनांक 08.07.2025 को 70 दिन बाद विद्युत विभाग द्वारा खराब मापक को बदला गया है, जबकि मापक अधिकतम 30 दिन के भीतर बदल दिया जाना चाहिये था।
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 25.07.2025 में कहा गया है कि परिवादी 70 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है एवं अधिक उम्र के कारण हल्द्वानी की यात्रा करने में समर्थ नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी को दिनांक 30.07.2025 को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान करने का कष्ट करें। मेरे द्वारा अपने वाद पत्र में एवं प्रति उत्तर पत्र समस्त साक्ष्य पूर्व में ही माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं। मेरे वाद पत्र व प्रतिउत्तर व उनके साथ संलग्न साक्ष्यों के आधार पर ही सुनवाई करने का कष्ट करें।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2025 की तिथि नियत की गई परन्तु विभाग/विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि त्रिस्तरीय निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया के तहत विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 24.07.2025 से 31.07.2025 तक निर्वाचन चुनाव में की गयी है जिस कारण वादों में उत्तर पत्र प्रस्तुत करना व सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं है।
6. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 02.08.2025 की तिथि नियत की गयी। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित परिवादी अनुपस्थित, परिवादी के अनुरोध पर दूरभाष के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया व क्षतिपूर्ति की मांग को दोहराया गया। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा कहा गया कि उपखण्ड (वितरण) से परीक्षण खण्ड को Online Indent भेज दिया गया था परन्तु स्मार्ट मीटर स्थापना के कारण समय लगा है/विलम्ब हुआ है। विलम्ब का कारण जायज है अतः क्षतिपूर्ति नहीं दी जाए। परिवादी ने क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई।
7. मंच द्वारा पक्षकारों के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की खराब मीटर संबंधी शिकायत के 68 दिन के बाद मीटर बदला गया। विनियम के अनुसार 45 दिन की समय सीमा के भीतर विपक्षी को मीटर बदल देना चाहिए था। परन्तु मीटर बदलने में 23 दिन का विलम्ब हुआ है। अतः परिवादी UERC (Standard of Performance) Regulations, 2022 के तहत ₹ 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से ₹ 2300.00 क्षतिपूर्ति पाए जाने का अधिकारी है।

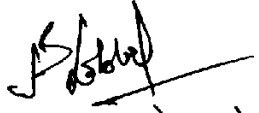



आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के आगामी बीजक में क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 2300.00 का समायोजन प्रदान करें। विपक्षी इस आदेश के अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

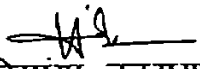
दिनांक:—02.08.2025

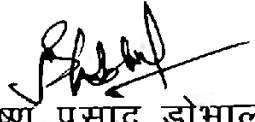

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:—02.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत विवरण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1- श्री प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2- हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-104 / 2025

पंजीकरण तिथि:-07.07.2025

निर्णय की तिथि:- 01.08.2025

आशुतोष प्रताप चौधरी

पुत्र स्व० श्री महेन्द्र प्रताप चौधरी,

चौधरी भवन नैनीताल रोड़ हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

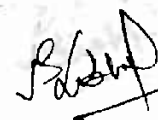
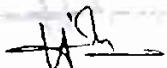
हल्द्वानी (नगर)।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:- कि प्रार्थी का, भवन संख्या 9-104 नैनीताल रोड कृष्णाकुंज के सामने स्थित है जिसमें प्रार्थी के बिना अनुमति के उपरोक्त घरेलु विद्युत कनेक्शन श्रीमती कृतिका चौधरी के नाम दिया गया है जिसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। महोदय से निवेदन है कि उक्त कनेक्शन को तुरन्त प्रभाव से काटा जाये और भविष्य में बगैर मेरी अनुमति के मेरे मकान में कोई भी निजी/व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन ना दिया जाये। इस सम्बन्ध में एस०डी०ओ० साहब को दिनांक 06.06.2025 को आवेदन पत्र दिया गया एवं सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 10.06.2025 को भी प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसकी सूचना प्रार्थी को गले-मोल भाषा के अन्तर्गत दिनांक 25.06.2025 को बिना कोई भी कार्यवाही किये दी गई। महोदय से निवेदन है कि मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार करके एस०डी०ओ० सुभाषनगर को उक्त कनेक्शन विच्छेदित करने का आदेश पारित करने की कृपका हैं।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि श्री आशुतोष प्रताप चौधरी, चौधरी भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी का संयोजन विच्छेदन सम्बन्धित शिकायत संस्थित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा संयोजन सं० 381-सी0101-112630, को विच्छेदन की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु उक्त संयोजन श्रीमती कृतिका चौधरी के नाम से संचालित है। इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही स्वयं उपभोक्ता के स्वेच्छा आवेदन पर की जाती है।
3. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया गया है कि प्रार्थी का भवन संख्या सी 9-104 नैनीताल रोड कृष्णाकुंज के सामने स्थित है जिसमें प्रार्थी के बिना अनुमति के उपरोक्त घरेलु विद्युत कनेक्शन श्रीमती कृतिका चौधरी के नाम दिया गया है जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा श्रीमती कृतिका चौधरी को किस आधार/नियम एवं जांच रिपोर्ट के तहत विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता बनाया गया। भवन संख्या सी0 9-104 जो कि एन.एच.-87 नैनीताल रोड हाईवे पर व्यावसायिक भवन स्थित है और क्या विभाग द्वारा उपभोक्ता को संयोजन देते समय पूर्ण कानूनी सर्वे कराया गया। सत्यापित रिपोर्ट उपलब्ध करायें।
 - विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता को विद्युत संयोजन लेते समय किन प्रपत्रों को जमा कराया गया उनकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायें।
 - प्रार्थी श्री आशुतोष प्रताप चौधरी जो कि मकान मालिक हैं, से कोई अनापत्ति पत्र लिया गया है, हा/ना स्पष्ट करें।
 - क्या आज दिनांक 21.07.25 तक को शिकायत करने के बाद भी इस घरेलु संयोजन के व्यावसायिक उपयोग करने पर भी कनेक्शन देने से आज तक लगायी गयी पैनाल्टी की डिटेल्स उपलब्ध करायें।
4. मंच द्वारा दिनांक 01.08.2025 को सुनवाई हेतु नियत तिथि पर उभय पक्ष मंच में उपस्थित हुए।
5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने यह वाद अन्य विद्युत उपभोक्ता श्रीमती कृतिका चौधरी के विद्युत संयोजन को विच्छेदित किए जाने के संबंध में योजित किया है। परिवादी ने अपने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उनके मकान में उनकी अनुमति के बगैर कोई भी विद्युत कनेक्शन न दिया जाये। विपक्षी/विभाग का कहना है कि विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही स्वयं उपभोक्ता के आवेदन पर ही की जाती है। इस मंच को तीसरे व्यक्ति के आवेदन पर किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को विच्छेदित किए जाने संबंधी आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उपभोक्ता का संयोजन उसका आवेदन पर,



बकाया भुगतान नहीं करने पर तथा किसी प्राधिकरण/प्रशासन/न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर ही विच्छेदित किया जा सकता है। परिवाद पत्र के अवलोकन से यह प्रकरण संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित प्रतीत होता है। इस मंच को संपत्ति संबंधित मामले सुनने का ना तो अधिकार प्राप्त है और ना ही आदेश पारित करने का अधिकार है। ऐसी दशा में इस वाद पर यह मंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। जहां तक विद्युत संयोजन का प्रश्न है तो मात्र विद्युत उपभोक्ता होना किसी संपत्ति के मालिक होने का आधार नहीं है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह वाद मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

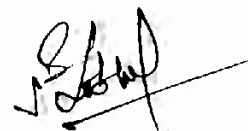
आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 01.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



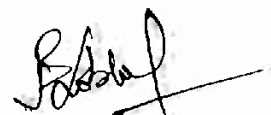
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 01.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1- शिव प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2- तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3- हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-105 / 2025

पं. ~~ज~~करण तिथि:- 07.07.2025

निर्णय की तिथि:- 19.08.2025

रमा देवी,
कलावती कॉलोनी
नवाबी ~~खे~~ हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

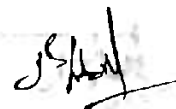
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:- ~~से~~ संयोजन संख्या-592BN22721090 जो कि लगभग 3 वर्षों से स्थापित है और जिसके विद्युत बिल का भुगतान मेरे द्वारा निरंतर किया गया है उक्त संयोजन विद्युत वितरण खंड नैनीताल के अंतर्गत भीमताल पांडे गांव में आता है इस संबंध में आपको अवगत करना है कि विद्युत विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना के दिनांक 02 जुलाई 2025 को मेरा संयोजन विच्छेदन कर दिया गया कनेक्शन काटने से पहले विभाग द्वारा मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई मेरे उक्त संयोजन में कोई बकाया धनराशि शेष नहीं है मुझे उक्त कनेक्शन विभाग द्वारा देते समय 3 साल पूर्व मेरे द्वारा समस्त औपचारिक दस्तावेजों को पूर्ण करने के बाद ही विद्युत संयोजन दिया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे विद्युत संयोजन त्वरित जोड़ दिया जाए साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा यह गैर कानूनी कृत किया गया है और नियमों को ताक पर रख के संयोजन को विच्छेदित किया गया उन्हें दंडित भी दिया जाए, चूंकि बिजली/पाानी

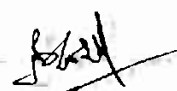
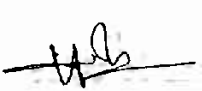


व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है जिससे उसको किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि त्वरित गति से मेरी सूचनाओं की सुनवाई करते हुए तुरंत निर्णय लिया जाए मेरी वृद्ध माताजी वहां रहती हैं और उनका स्वास्थ्य खराब रहता है ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है बिजली न होने से उनकी जान को भी खतरा है।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:- उपभोक्ता श्रीमती रमा देवी हल्द्वानी द्वारा विद्युत संयोजन से सम्बन्धित समस्या का समाधान कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु दि० 09.07.2025 की तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त प्रकरण में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:-

- उक्त प्रकरण में उपभोक्ता श्रीमती रमा अधिकारी के संयोजन संख्या 592BN22721090 के विच्छेदन से सम्बन्धित वाद में उपखण्ड अधिकारी भीमताल की आख्या अनुसार उक्त संयोजन 20.09.2022 को निर्गत किया गया था परंतु संयोजन निर्गत किये जाने के विरुद्ध श्री राम कुंवर सिंह तल्लीताल नैनीताल द्वारा बार-बार आपत्ति व्यक्त की गयी थी। (संलग्नक 01 आपत्ति पत्र)
- उक्त आपत्ति में श्री राम कुंवर सिंह तल्लीताल द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गयी कि श्रीमती रमा अधिकारी द्वारा उनकी निजी भूमि में विद्युत संयोजन लगाया गया है जिसमें आपत्तिकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि के प्रमाण स्वरूप राजस्व अभिलेखों में अपना नाम (श्री राम कुंवर सिंह तल्लीताल) दर्ज होना दर्शाया गया है। (संलग्नक 02)
- उक्त कम में ही विद्युत विभाग द्वारा वाद कर्ता (श्रीमती रमा देवी) को अपना पक्ष रखने व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक संख्या 1046 दिनांक 09.10.2024 को नोटिस जारी किया गया था परंतु श्रीमती रमा देवी द्वारा 8 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि का स्वामित्व श्रीमती रमा देवी का है। (संलग्नक 03)
- उक्त प्रकरण में वाद कर्ता द्वारा संयोजन पर लगाई गयी आपत्ति के विरुद्ध कोई भी भू-स्वामित्व से सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त संयोजन अस्थायी रूप से दिनांक 02.07.2025 को विच्छेदित किया गया है।
- इसके साथ ही उक्त प्रकरण में ही उप जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक संख्या 364/रा0क0/2025/दिनांक 04.07.2025 के माध्यम से भी यह अवगत कराया गया है कि जिस भूमि पर विद्युत संयोजन 592BN22721090 लगा है वह भू-अभिलेखों में श्रीमती रमा अधिकारी के नाम से दर्ज नहीं है, इसके अतिरिक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित वाद संख्या 91/2022

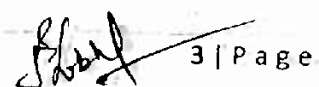
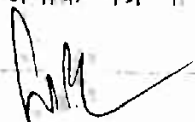
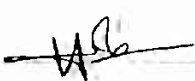


मा० न्यायालय श्रीमान प्रवर सिविल जज नैनीताल में विचारधीन है। (संगलनक 04) मा० मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 14.07.2025 को आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया है कि विपक्षी द्वारा दिया गया उत्तर सरासर झूठा व वेबुनियादी है उक्त पत्रांक संख्या 1634 दिनांक 08.07.2025 का बिंदुवार निम्नलिखित प्रति उत्तर दे रही हैं

- बिंदु संख्या 1. जवाब देने योग्य नहीं है।
- बिंदु संख्या 2. रामकुमार के द्वारा केवल कह देने से, कि यह उसकी निजी भूमि है विभाग द्वारा कैसे मान लिया गया कि यह भूमि उसकी है क्या विभाग के पास भूलेख निरीक्षण के अधिकार प्राप्त हैं? क्या विभाग के कर्मचारी के पास राजस्व वाद निस्तारण का अधिकार प्राप्त है? क्या विभाग को राजस्व विभाग की ओर से या किसी न्यायालय से विद्युत संयोजन के विच्छेद का आदेश प्राप्त हुआ था।
- बिंदु संख्या 3. मैं विभाग द्वारा झूठ बोला गया है कि वादी ने पत्रांक संख्या 1046 दिनांक 09.10.2024 नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जबकि वादी के द्वारा दिनांक 06.11.2024 को पंजीकृत भारतीय डाक से जवाब प्रेषित कर दिया गया था प्रति संगलन है।
- बिंदु संख्या 4. सरासर निराधार है क्योंकि वादी के द्वारा विद्युत संयोजन लेते समय विक्रय पत्र (बैनामा) की प्रति को फार्म के साथ संगलन करके ही विद्युत कनेक्शन निर्गत किया गया था और नोटिस के उपरांत भी पुनः दिनांक 06.11.2024 को इस बात का स्मरण करवा दिया गया कि हमारे द्वारा विद्युत संयोजन लेते समय समस्त दस्तावेजों को विभाग में फार्म सहित दाखिल कर दिया गया था।
- प्रतिवादी द्वारा बिंदु संख्या 5 में यह लिखा जाना की उप जिलाधिकारी नैनीताल के कार्यालय पत्रांक 364/रा0क0/2025 दिनांक 04.07.2025 के क्रम में यह कहना है कि प्रतिवादी द्वारा जो उप जिला अधिकारी के उक्त पत्र संगलन किया है उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि भू अभिलेखों में श्रीमती रामाधिकारी का नाम दर्ज नहीं है।

(अ) अधिशासी अभियंता का यह कहना कि जिस भूमि पर विद्युत संयोजन 592BN22721090 वह रामाधिकारी के नाम पर नहीं है ऐसा उप जिलाधिकारी के पत्र में लिखा है जबकि पत्र में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है।

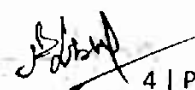
 3 | Page

(ब) बिंदु संख्या 5 में लिखा है कि इसके अतिरिक्त विदित संगलन में कर के क्रम में कहना है कि प्रतिवादी — कोह बात कहां से पता है कि — को कोई वाद चल रहा है जबकि उसका कोई भी दस्तावेज संगलन नहीं किया गया है यह बात उन — संज्ञान में कहां से आयी उक्त बिंदु से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिशासी अभियंता का इसमें निजी हित दिख रहा है।

(स) संपूर्ण घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो रहा है कि उप जिला अधिकारी का पत्र दिनांक 04. 07.2025 को प्राप्त हुआ और विद्युत संयोजन 02.07.2025 को काटा गया अधिशासी अभियंता द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण संगलन नहीं है इनके द्वारा कहा गया है वह कुटरचित है और सरकारी आचरण के विरुद्ध है।

अतिरिक्त कथन—

- विद्युत विभाग क नियमावली अनुसार लगभग 30 — नदिका नोटिस विद्युत विच्छेदन के लिए दिया जाता है — जो वृत्ति दी कोहीं दिया गया है।
- — भेजस यह — यमाव — ली हैं कि — विच्छे के कितने दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है माननीय मंच से अनुरोध है कि स्वतः संज्ञान लेकर देखा जाए कि क्या इनके द्वारा उसे नियम का पालन किया गया है।
- या नोटिस का कोई विभागीय, फॉर्मेट है आपने 6 माह पहले जो नोटिस दिया था उसका प्रतिउत्तर हमें दे दिया गया था आप हमारी बात से संतुष्ट थे तभी आपके द्वारा उस समय विद्युत विच्छेदन नहीं किया गया था।
- उक्त बिंदु के संबंध में वादी यह भी अवगत कराना चाहती है की भूमि का संपूर्ण स्वामित्व विक्रय पत्र (बैनामा) से होता है दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में दर्ज — जहीना राजस्व विभाग के 41 एल0आर एक्ट के तहत केवल विभागीय कार्यवाही है और केवल इस बात को पदर्शित करता है कि भूमि का राजस्व अब किस से लिया जाएगा वादी यह भी अवगत कराना चाहती है की वादी ने जो भूमि कय की है वह गुंजन पांडे एवं भावना पांडे की है राजस्व अभिलेखों में अभी भी उनका ही नाम दर्ज है और उसके बाद वादी का नाम दर्ज हो जायेगा यह एक विभागीय प्रक्रिया है न कि काबिज होने का प्रमाण, कब्जे — की



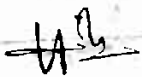
प्रमाणिका का अधिकार राजस्व विभाग के पास नहीं है केवल न्यायालय के पास है।

- उक्त बिंदु में यह भी कहा गया है — ~~किन्तु~~ न्यायालय प्रवर सिविल जज नैनीताल में मामला विचाराधीन है क्या ~~कोई~~ कोई विद्युत विच्छेद का आदेश प्राप्त हुआ है या कोर्ट के द्वारा उक्त भूमि पर आज की दिनांक तक ~~कोई~~ निषेधाज्ञा है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा कवले भ्रामक जानकारी आपको दी गई है आपको कोई भी न तो प्रमाण दिया गया है न ही न्यायालय के आदेश की कोई प्रति आपको उपलब्ध कराई गई है।
 - महोदय उक्त विच्छेदन की प्रक्रिया ~~र~~ कानूनी तरीके से करी गई है इस प्रक्रिया में अधिशासी अभियंता नैनीताल एवं उप खण्ड भीमताल का इसमें निजी हित दिखाई दे रहा है।
 - क्योंकि बिजली और पानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार व्यक्ति की मूलभूत सुविधा में आता है और उसे इस अधिकार से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता उक्त के संबंध में वादी द्वारा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों की प्रति को संग्रहीत कर रहा है।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता श्रीमती रमा देवी हल्द्वानी द्वारा प्रेषित आपत्ति पत्र के कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:-
- उपभोक्ता द्वारा दि० 14.07.2025 को दिये गये जवाब दावा में बिन्दु संख्या 01 कोई जवाबधृतिउत्तर नहीं दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि संयोजन संख्या 592BN22721090 में श्री राम कुंवर सिंह तल्लीताल, नैनीताल द्वारा दि० 19.09.2024 को जो आपत्ति व्यक्त की गयी है वह सही है।
 - बिन्दु संख्या 02 के कम में अवगत कराना है कि संयोजन संख्या 592BN22721090 में आपत्ति/विवादित होने पर सरकारी गजट, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code) Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के Chapter 06 में Disconnection & Reconnection के बिन्दु संख्या 6.2 के उपबिन्दु संख्या 6 के आधार पर ही ~~विच्छेद~~ की प्रक्रिया अपनायी गयी है। (संलग्नक 01)
 - उक्त बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि विद्युत आपूर्ति जनता की मूल भूत सुविधाओं में से एक है जिसे ध्यान में रखते हुये ही **UERC Regulations 2020 के अन्तर्गत LT Connection में 3.3.2 के बिन्दु संख्या 04 के उप बिन्दु ब में चाहे ग** ये प्रपत्रों के आधार पर ही संयोजन निर्गत किया जाता है परन्तु संयोजन दिये जाने पर प्रकरण आपत्ति/विवादित होने पर **UERC Regulations 2020 के अन्तर्गत ही** विच्छेदन की प्रक्रिया भी की जाती है। (संलग्नक 02)

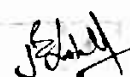
- उपभोक्ता द्वारा भू-स्वा-वि से सम्बन्धित प्रपत्र/साक्ष्य उपलब्ध न होकराये गये हैं।
- जवाब दावा से सहमत नहीं है क्योंकि उप जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 364/रा0क0/2025/दिनांक 04.07.2025 के माध्यम से राजस्व उप निरीक्षक पाण्डेगांव की आख्या भी उपलब्ध करायी गयी है, उस संलग्न पत्र का संज्ञान लिया जा सकता है।
- जवाब दावा से सहमत नहीं है क्योंकि विवादित भूमि से सम्बन्धित वाद संख्या 91/2022 मा0 न्यायालय श्रीमान प्रवर सिविल जज नैनीताल में विचाराधीन है, जिसका उल्लेख भी उप जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 364/रा0क0/2025/दिनांक 04.07.2025 के माध्यम से राजस्व उप निरीक्षक पाण्डेगांव की आख्या में किया गया है जिसका संज्ञान लिया जा सकता है। (संलग्नक 03)

अतिरिक्त कथन: -

- उक्त के कम में वि विपखण्ड भीमताल द्वारा पूर्ण उपभोक्ता के नोटिस पत्र प्रेषित किये गये हैं। नोटिस पत्रों की प्रति मा0 मंच को पूर्व के पत्र संख्या 1634 दि0 08.07.2025 के माध्यम से बिन्दु संख्या 03 के संलग्नक 03 में किया गया है।
 - उक्त प्रकरण में मा0 मंच को अवगत कराना है कि विद्युत संयोजन निर्गत करने या विच्छेद की प्रक्रिया UERC Regulations 2020 के अनुसार हो रही है। अतः मा0 मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।
5. दिनांक 02.08.2025 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। पक्षकारों की बहस सुनी गई। परिवादी द्वारा कहा गया कि उसे विपक्षी की आपत्ति दिनांकित 19.07.2025 प्राप्त नहीं हुई है। मंच कार्यालय द्वारा सुनवाई के समय ही विपक्षी की आख्या की प्रति परिवादी को हस्तगत कराई गई। बहस सुनने के बाद पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित करते हुए परिवादी को विपक्षी की व्याख्या पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया।
6. परिवादी द्वारा दिनांक 08.08.2025 को अपनी आपत्ति में कहा गया है कि विपक्षी संख्या 1793 दिनांक 19.07.2025 के संदर्भ में बिंदुवार वादी जवाब दे रहा है, बिंदु संख्या 1. सरासर झूठ है जिस कारण जवाब देने योग्य नहीं है। बिंदु संख्या 2. के संदर्भ में प्रतिवादी द्वारा दिया गया जवाब सरासर झूठ है कि उसके द्वारा सरकारी सौजट उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी UERC (The electricity supply code) release of new connection and Related matter) regulation 2020 Chapter 6 disconnection and reconnection के बिंदु संख्या 6.2 के उप बिंदु संख्या 6 के आधार पर विच्छेद की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। बिंदु संख्या 6.2 की उप धारा संख्या 6 में यह कथन है कि In the event of any default or confirmation of unlaw full Occupancy of the premise by the court





 6 | Page

of law or non compliance of saturated provision by the consumer or in the event of legally binding directive by statutory authorities/district magistrate the licence shall disconnect the service connection of the consumer for giving effect to such an order this shall be without prejudice to any other right of licence including that of getting its payment as on the date of disconnection उपरोक्त कथन में साफ-साफ लिखा है कि विधिक संस्था या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर विद्युत विच्छेदन किया जा सकता है जबकि विभाग के पास ऐसा कोई भी आदेश नहीं है तो यह कैसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा उक्त गैजेट के 6.2 के नियमों का पालन किया गया ? इनके द्वारा झूठा स्टेटमेंट दिया गया है।

बिंदु संख्या 3. में इनके द्वारा कहा गया है की LT connection में 3.3.2 के बिंदु संख्या के उप बिंदु में चाहे गए प्रपत्रों के आधार पर ही संयोजन निर्गत किया जाता है।

3.3.2 Proof of ownership or Occupancy

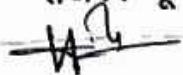
(a) The applicant shall submit self & attached copy of any one of the following document as proof of ownership or occupancy over premises for which the connection is required

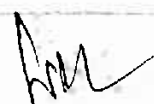
(1) Sale deed or lease deed (with latest rent received issue within 3 month prior to the date of application) or Khasra or Khatauni '4including of applicants name in the Khasra or Khatauni Shall be sufficient for this purpose) महोदय उक्त बिंदु के अनुसार स्वामित्व की प्रमाणिकता

के लिए विक्रय पत्र, या किरायानामा या खसरा या खतौनी होनी चाहिए यानि कि इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए महोदय वादी के द्वारा कनेक्शन के समय अपनी भूमि का विक्रय पत्र समायोजित किया गया था जो की वादी के द्वारा प्राप्त विभाग की आरटीआई से भी पता चलता है जो की वादी के द्वारा उक्तवाद में दिनांक. 19.07.2025 को सबमिट की जा चुकी है।

बिंदु संख्या 4 में पुनः विभाग के द्वारा झूठ बोला गया की भू स्वामित्व के प्रपत्र साक्ष उपलब्ध नहीं कराए गए जबकि विभाग के द्वारा दी गई आरटीआई के जवाब में विभाग ने स्वयं माना है कि उसके कनेक्शन फॉर्म के साथ विक्रय पत्र समायोजित था।

बिंदु संख्या 5 के अनुसार उप जिला अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 04.07. 2025 में राजस्व उप निरीक्षक पांडे गांव की आख्या उपलब्ध कराई गई है और उसमें यह कहा गया है की वादी रमा देवी का विद्युत संयोजन जिस भूमि पर लगा है वह भूमि भू अभिलेख में उक्त व्यक्तियों के नाम से दर्ज नहीं है, महोदय उनके द्वारा केवल यह बताया गया है कि राजस्व अभिलेखो मे नहीं है राजस्व अभिलेख का मतलब होता है खतौनी यानि कि खतौनी में दर्ज नहीं है उप निरीक्षक की आख्या में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि यह भूमि रमा अधिकारी की नहीं है केवल यह लिखा गया है कि राजस्व भूअभिलेख में दर्ज नहीं है जबकि वादी पूर्व में भी मंच को एवं विद्युत विभाग





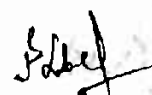


को बता चुका है कि उसक द्वारा दाखिल खारिज हेतु प्रक्रिया पूर्व में ही प्रारंभ कर दी गई थी दाखिल खारिज होना एक विभागीय कार्रवाई है न कि कब्जे की पुष्टि वादी अपने इस स्टेटमेंट की पुष्टि हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के Smt Kalawati versus The Board of Revenue and 6 other on 6 April 2022 की रूलिंग को कोड़ कर रहा है बिंदु संख्या 6 में विद्युत विभाग के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए मंच को भ्रामक बातें बतायी जा रही हैं क्या वाद संख्या 91/2022 माननीय न्यायालय श्रीमान प्रवर सिविल जज नैनीताल के द्वारा किसी प्रकार का निषेधाज्ञा या विद्युत संयोजन विच्छेद का कोई आदेश दिया गया है? महोदय उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता इंजीनियर एस०के० सहगल के द्वारा मंच के समक्ष झूठे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके साक्ष्य मंच के सामने हैं वादी यह भी निवेदन करता है कि झूठे स्टेटमेंट देने के लिए क्यों ना अधिशासी अभियंता के ऊपर BNSS की धारा 379 की कार्रवाई सक्षम न्यायालय में करवाई जाए।

महोदय वादी को दिनांक 19.07.2025 विभागीय जबाब पत्र संख्या 1792, पिछली तिथि 02. 07.2025 को मंच के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसपर वादी आज प्रति उत्तर दे रहा है और मंच से न्याय हित में पुनः प्रतिवादी से जिरह की अनुमति मांग रहा है।

7. दिनांक 19.08.2025 को उभय पक्ष पुनः मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित रहें। पक्षकारों के तर्क सुने गये।
8. उभय पक्षों को सुना गया एवं मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकरण संपत्ति विवाद से संबंधित प्रतीत होता है। यह मंच प्रश्नगत संपत्ति के मालिकाना हक पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इस मंच को भूमि संबंधी मामले में सुनवाई का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जहां तक विद्युत संयोजन का प्रश्न है तो माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के उ०वि०नि०आ०(विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम 2020 के नियम 6.2 के सभी बिन्दुओं का अवलोकन किया गया। संपत्ति विवाद के चलते ही विपक्षी/विभाग ने उपजिला अधिकारी नैनीताल के माध्यम से प्राप्त संबंधित क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक की आख्या भी मंच में प्रस्तुत की है। विपक्षी का कहना है कि उसने विनियम के नियम 6.2 (6) के तहत ही विच्छेद की प्रक्रिया अपनाई है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक की आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिस भूमि पर श्रीमती रमा अधिकारी के नाम पर विद्युत संयोजन लगा है वह राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर दर्ज नहीं है। इस भूमि से संबंधित एक वाद सिविल जज, सीनियर डिजीजन, नैनीताल के न्यायालय में भी विचाराधीन है। वर्तमान में संयोजन अस्थाई रूप से विच्छेदित है। परिवादी ने विपक्षी से संयोजन ले समय मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के एल०टी० रेगुलेशन में वर्णित बिंदुओं का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेज विपक्षी के कार्यालय में जमा कराए



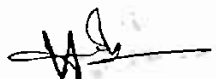


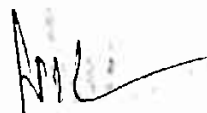
हैं। विपक्षी द्वारा भी विनियम के तहत संयोजन निर्गत किया गया है। संयोजन विच्छेद करने के लिए ना तो परिवादी/उपभोक्ता द्वारा आवेदन किया गया है और ना ही संयोजन पर किसी प्रकार का बकाया रहा है। विपक्षी किसी अन्य व्यक्ति की लिखित शिकायत, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत भूमि का स्वयं को मलिक बताया जा रहा है, पर संयोजन को विच्छेदित किया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि के संबंध में माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा माननीय न्यायालय द्वारा विद्युत संयोजन के संबंध में कोई आदेश/स्थगत आदेश/निर्देश जारी किए गए हो, ऐसा कोई साक्ष्य विपक्षी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस विद्युत संयोजन का भूमि के मालिकाना हक से कोई संबंध नहीं है। भूमि के मालिकाना हक का मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसका निर्णय भी उसी न्यायालय द्वारा किया जाना है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के तहत विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है। अतः उसे पुनः संयोजित किया जाना न्यायोचित है।

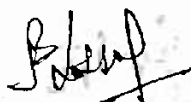
आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के अस्थाई रूप से विच्छेदित किए गए संयोजन को पुनः संयोजित करे तथा अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 19.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

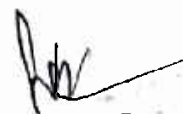

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

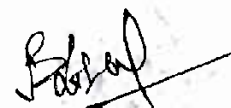

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 18.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम

1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-106 / 2025

पंजीकृत तिथि:-10.07.2025

निर्णय की तिथि:-19.08.2025

महेश चन्द्र पन्त

परिवादी

एडवोकेट उच्च न्यायालय नैनीताल

चैम्बर नं०-44, पुराना चैम्बर बिल्डिंग

पंत आरोहन, पंत एस्टेट

रानीखेत रोड भवाली

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिकासी अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि:-

1.The applicant, an undersigned resident of Pant Aarohan, Pant Estate, Ranikhet Road, Bhowali, District Nainital, Uttarakhand, having consumer no. 42400956671.

2.The applicant installed the solar panel under the scheme of Pradhanmantri Surya Grah Yojna on 02.03.2025, and a ceiling certificate having combination number 592/NN/54661015 was issued by the representative of

the UPCL on 02.03.2025. The photocopy of the ceiling certificate dated 02.03.2025, having combination number 592/NN/54661015, is annexed herewith for your kind perusal as Annexure No.1.

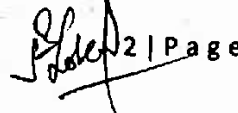
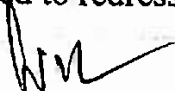
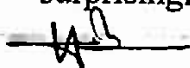
3.The UPCL surprisingly and utterly violated of law issued to the applicant, alleging a wrong electricity bill through Google on 25th May 2025, amounting to Rs. 2,419/- through the alleged bill no. 424009566710528611 BBPS Monthly UPCL WSS without any details of the consumption units (i.e., exported and imported) of electricity, as well as no period of the bill mentioned therein. The photocopy of the alleged electricity bill through Google 25th May 2025, amounting to Rs. 2,419/- through the alleged bill on no.424009566710528611 BBPS Monthly UPCL WSS is annexed herewith for your kind perusal as Annexure No.2.

4.That, when the applicant received the same through Google, he immediately complained online at 1912 on 28.05.2025 and got the complaint number 22805250582, but nothing has been done.

5.That, to his utter surprise, rather than redressing the grievance of the applicant raised through complaint number 22805250582, they again issued an alleged electricity bill through Google on 19th June 2025 through alleged bill no. 28462250619000006 amounting to Rs 2323/ without any details of the consumption units (i.e., exported and imported) of electricity, as well as no period of the bill mentioned therein. The photocopy of the alleged electricity bill through Google on 19th June 2025 through the alleged bill no. 28462250619000006 amounting to Rs 2323/ is annexed herewith for your kind perusal as Annexure No.3.

6.That applicant again sent the reminder call in 1912 in regards of complaint dated 28.05.2025, complaint number 22805250582 on 27.06.2025, but in spite of that, nothing was done.

7.That applicant again sent the reminder call in 1912 in regards of complaint dated 28.05.2025, complaint number 22805250582 on 04.07.2025, but surprisingly they completely failed to redress the grievance of the applicant.

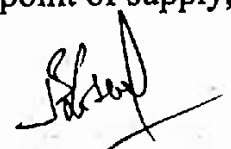
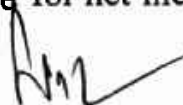
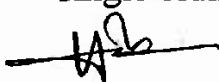
 2 | Page

8. The above-mentioned act of UPCL is a clear example of mental and financial harassment of the applicant/prosumer, and also affects the goal of green energy of the Government of India, which is a very serious matter.

9. That the UPCL has an obligation under the law of gross-metering and net-metering before issuing any bill. Nothing short of that exercise was done. None of the representatives of the UPCL has ever visited for the above-mentioned job at the residence of the applicant. Under the law, the solar energy generated by the prosumer shall be adjusted against the energy consumed and the bill amount as per the regulations for the rooftop solar system, failing which the UPCL is liable to pay compensation to the applicant for his mental and financial harassment to the tune of Rs. 1,00,000/- (Rs. One lacs).

10. That it is pertinent to mention here that for your kind attention, "gross-metering" means a mechanism whereby the total solar energy generated from a grid-interactive rooftop Solar Photovoltaic system of a Prosumer and the total energy consumed by the Prosumer are accounted separately through appropriate metering arrangements, and for billing purposes, the total energy consumed by the Prosumer is accounted at the applicable retail tariff and total solar power generated is accounted for at feed-in tariff determined by the Commission, but herein in the case of the applicant nothing has been done and they (UPCL) issued alleged wrong bill, therefore the applicant before the redressal forum.

11. That it is further submitted here that "net-metering" means a mechanism whereby solar energy exported to the Grid from Grid-interactive Solar Photovoltaic system of a Prosumer is deducted from energy imported from the Grid in units (kWh) to arrive at the net imported or exported energy and the net energy import or export is billed or credited or carried-over by the distribution licensee on the basis of the applicable retail tariff by using a single bidirectional energy meter for net-metering at the point of supply,

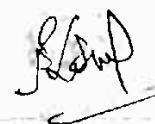
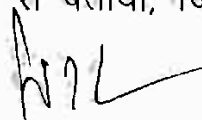
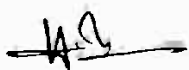


but herein in the case of the applicant nothing has been done and they (UPCL) issued alleged wrong bill, therefore the applicant before the redressal forum.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that the UPCL be directed to follow the law and to cancel the alleged bills raised through Google Pay, and after following the law, raise the net bill after analyzing of export-import of electricity used by the applicant, and further be directed to the UPCL to pay the compensation for mental and financial harassment of the applicant to the tune of Rs. 1,00,000/- (Rs. One lacs).

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 15.07.2025 में कहा गया है कि उक्त प्रकरण में उपभोक्ता श्री महेश चन्द्र पंत (एडवोकेट) भवाली, के संयोजन संख्या-592NN54661015 के सोलर सम्बन्धित बिल सही है जिसमें MRI रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उपभोक्ता को उक्त संयोजन के बिल सम्बन्धित सूचना देने के लिये वि०वि०उपखण्ड भवाली कार्यालय के प्रतिनिधि/कार्मिक द्वारा दूरभाष पर कई बार प्रयास किये गये। कई प्रयासों के उपरान्त फोन पर सम्पर्क होने पर उपभोक्ता द्वारा गलत रीडिंग के बिल प्राप्त होने आदि की शिकायत की गयी है। उक्त क्रम में बिलिंग का कार्य करने वाली फर्म मै० वैवफ्यूजन इन्फोटेक प्रा०लि० के कार्मिक श्री राकेश भट्ट द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर प्रति माह जा कर MRI ली जा रही है इसके अतिरिक्त विद्युत बिल को देने हेतु परिसर पर जाया जाता है। मै० वैवफ्यूजन इन्फोटेक प्रा०लि० के कार्मिक श्री राकेश भट्ट द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर किसी भी व्यक्ति के न होने के कारण विद्युत बिल को मापक के समीप ही रख दिया जाता है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 19.08.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवादी की सभी शंकाओं का समाधान करते हुए बिल पर अंकित सभी विवरणों को विस्तार से बताया, जिस पर परिवादी ने संतुष्टि व्यक्त

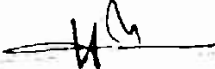


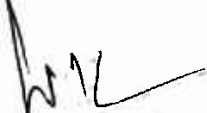
की। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

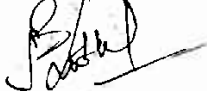
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-19.08.2025

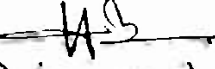

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-19.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-108/2025

पंजीकरण तिथि-15.07.2025

निर्णय तिथि-14.08.2025

यशवन्तीनेगी

परिवादी

पत्नी जे०एस०नेगी

किसीकहलक्वीरा

भवाली

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल।

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के विद्युत कनेक्शन संख्या-591NM13067677 में माह मार्च 2025 का बिल धनराशि ₹21812.00 प्राप्त हुई है एवं कुल यूनिट 3033 दर्शायी गई है जो अत्यधिक है। वह पूर्व में भी विद्युत बिलों का भुगतान समय से करती आ रही है परन्तु माह अप्रैल 2025 का विद्युत बिल अत्यधिक आने के कारण उसके द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया है। अतः महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे विद्युत बिल को संशोधित करवाने की कृपा करेंगे।
- पक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 02.08.2025 में कहा गया है उपभोक्ता के मापक की म0आर0आई0 रिपोर्ट सही है। उपभोक्ता को माह 01/2025 में "0" यूनिट का बिल प्राप्त हुआ था जिसके पश्चात माह 01/2025 से माह 07/2025 तक के बिल को संशोधित कर दिया गया है, संशोधन पर उपभोक्ता द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई है। तथा बिल जमा कर दिया गया है।
- परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 08.08.2025 में कहा गया है कि उसके द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-591NM13067677 में माह मार्च 2025 का बिल धनराशि ₹ 21812.00 के संबंध में शिकायत की गई थी जिसके उपरान्त विद्युत विभाग

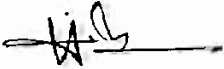
भवाली द्वारा जांचोंपरान्त शिकायत का निस्तारण किया गया। विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ माह के बिल में "0" यूनिट दर्शायी गई जिस कारण बिल यूनिट अधिक आने से बिल की धनराशि अधिक हो गई थी। अतः उक्त शिकायत का निस्तारण हो जाने से प्रार्थी संतुष्ट है।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक 08.08.2025 को ईमेल के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

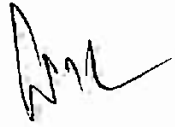
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:— 14.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:—14.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-110/2025

पंजीकरण तिथि-19.07.2025

निर्णय तिथि-28.08.2025

जयंती नैनवाल पत्नी भीम सिंह नैनवाल,
राजा रानी विहार, छडायल चौराह,
हल्द्वानी जिला-नैनीताल,

प बिा दिनी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)

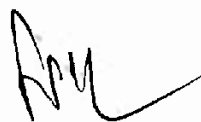
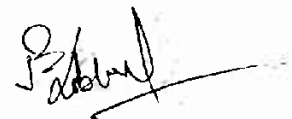
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हसनगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादिनी द्वारा अपने शिकायत पत्र में कहा गया है कि मेरे दो विद्युत कनेक्शन हैं जिसके कनेक्शन नं०/खाता संख्या- 42400074059/391K221596544 और 40118771569/391K221119780 है महोदय लगभग 6 माह से मुझे विद्युत बिल सही समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। जिसके लिए अनेकों बार मेरे द्वारा कार्यालय में अवर अभियन्ता एवं उपखंड अधिकारी महोदय से भी निवेदन किया गया लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, समय पर बिल नहीं मिलने से फिक्स चार्ज एवं विद्युत मूल्य में बदलाव हो रहा है जिस कारण विद्युत बिल ज्यादा भी आ रहा है।

अतः निवेदन है कि तय समय में नियामक आयोग के मानकों के अनुसार मुझे विद्युत बिल देने हेतु विभाग को आदेशित करने की कृपा करें और कार्यवाही संस्था को नियमानुसार क्षतिपूर्ति देने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार उनक बिलों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की उनके परिसर में दो विद्युत संयोजन स्थापित हैं।

प्रथम- 391K221119780 (2.00 KW)

द्वितीय-391K221596544(4.00 KW)

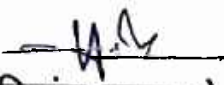
उपभोक्ता को लगातर दोनों विद्युत संयोजनों में माह 07/2025 तक बिल प्रेषित किये गए हैं। दोनों संयोजनों का विद्युत भार अलग होने के कारण प्रत्येक बिल का फिक्स्ड चार्ज अलग होना स्वभाविक है। विद्युत बिलों का अवलोकन करने पर सभी बिल यूनिट्स के आधार पर सही बने हैं। क्षेत्र के मीटर रीडर को भविष्य में लगातार विद्युत बिल देने को भी निर्देशित कर दिया गया है।

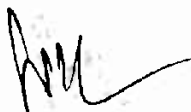
3. परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र में कहा गया है कि मान्यवर यू0पी0सी0एल0 द्वारा मेरी समस्या का समाधान कल दिनांक 27 अगस्त 2025 को किया गया है। आपसे अनुरोध है मेरे द्वारा दर्ज की गई शिकायत को बंद कर दिया जाए। धन्यवाद।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

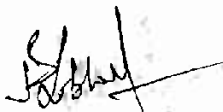
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 28.08.2025

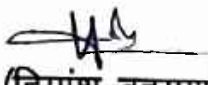

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

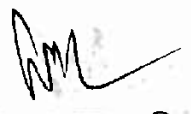

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

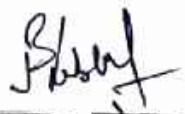

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-28.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

पं. सि. संख्या-111/2025
पंजीकरण तिथि-19.07.2025
निर्णय तिथि-29.08.2025

भवान राम पुत्र केशर राम,
किसपुरी नम्बर-02,
बिन्दुखत्ता हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल

पं. सि. दी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हीरानगर, हल्द्वानी

विपक्षी

निर्णय

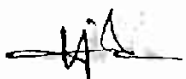
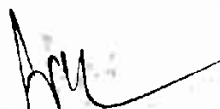
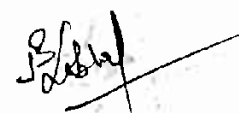
1. परिवारी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है कि:- "We have received the wrong bill Bill no:- M86464364 date =16/07/2025"

Previous reading= 5726
Present Reading= 6229

Total unit = 503 Kwh
Bill amount= 2184/- is already yesterday paid

but as per our old bill No M85090308 date 13/06/2025

Previous reading= 5726
Present Reading= 5726
Total unit = 173 Kwh
Bill amount= 1041/- is already paid
both bill copy attached for your reference

how it is possible please check and justify this both bill and refund the our balance amount at the earliest"

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सख्या -392LT10005083 के बिलों का पूर्व से ही अवलोकन करने पर सभी बिल खपत के आधार पर सही हैं। उपभोक्ता के दूरभाष नं०-9410585127 पर उनसे सम्पर्क कर बिल की स्थिति से अवगत कराया गया है। उपभोक्ता द्वारा मापक को चैक मापक से पुनः चैक करवाने का वादा की गयी है। शिकायत के आधार पर चैक मापक का रजिस्ट्रीकरण करवा दिया गया है। चैक मापक शुल्क Rs.100.00 जमा होते ही चैक मापक लगवा दिया जायेगा, साथ ही चैक मापक की रिपोर्ट के आधार पर ही बिल को भी संशोधित कर दिया जायेगा।

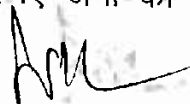
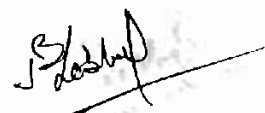
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 27.08.2025 को आपत्ति में कहा गया है कि-महोदय आप के मेल के अनुसार मेरा कहना ये है की जो मेरा bill आया है वह बिल्कुल गलत है

- 13 June 2025 के bill के अनुसार PREV-KVAH 5726 है और PRES- भी 5726 ही है जो सेम सेम है फिर भी bill में 173 Unit bill दिखाया गया है ~~सबि~~ ~~मे~~ हिसाब से बिल शून्य होना चाहिए था लेकिन बिल mount 1041 रुपए है।

- 16 July 2025 के bill के अनुसार PREV. KVAH 5726 है और PRES- 6229 है जिसमें आप ने 503 Unit bill दिखाया गया है 64 दिन का और bill amount हैं 3075.29 पैसे जिसमें से केवल 959.16 पैसे ही आप ने करनेज किया है जबकि मैने पूरे 1041 रुपये बिल का पैसा जमा किया है अब ~~मेरा~~ कहना ये है कि आप ने जो 64 दिन का जुलाई महीने का बिल बनाया है उसमें जो 250 unit जायदा जोड़ा है जिसका 8 से 9 रुपये का पर unit का पैसा जोड़ा है। जिसका लगभग 800 से 1000 रुपये मेरे bill में जायदा है क्योंकि मैं अपना बिल हर महीने जमा कर रहा हूँ फिर आप ने मेरा 64 दिन का बिल एक साथ क्यों बनाया जिसमें आप के bill बनाने वाले की गलती है ~~सबि~~ आप ~~मेरे~~ 800 से 1000 रुपए ज्यादा लिया गया है।

महोदय आप से मेरी सिर्फ इतनी सी विनती है कि मेरे bill जो 9 रुपये पर unit का पैसा लगाया गया है उसको हटा दिया जाए और ये पैसा ~~मेरे~~ वाले bill में से कम किया जाए।

4. दिनांक 29.08.2025 को मंच में सुनवाई की स्थिति नियत की गयी। परिवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी उपस्थित। विपक्षी द्वारा बताया गया कि परिवादी ने जून महीने के बिल की राशि 1041 रुपए जमा की है, यह बिल NA में था। अगले महीने

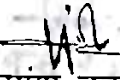
वास्तविक मीटर रीडिंग पर बिल बनाये जाने पर NA अवधि क बिले में विद्युत खपत एवं विद्युत कर की राशि रुपए 959.16(933.17+25.99) Provisional Adjustment के रूप में दे दी गई है। इसी प्रकार Other Charges 12.00 रुपये भी रिफंड किया गया है। जून महीने का फिक्स चार्ज 93.75 रुपया लिया गया है। अतः परिवादी की आशंका निराधार है। जुलाई महीने में उचित टैरिफ दर पर ही वास्तविक खपत का बिल बनाया गया है।

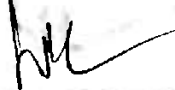
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माह जुलाई में परिवादी को भेजा गया बीजक उचित टैरिफ स्लैब के अनुसार सही है जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज होने योग्य है।

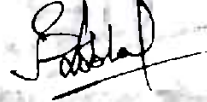
आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 29.08.2025

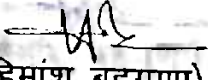

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

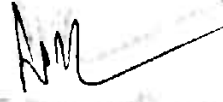

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 29.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-112/2025

पंजीकरण तिथि-21.07.2025

निर्णय तिथि-29.08.2025

प्रदीप थापा
 पुत्र कृपाल सिंह
 मल्ली बमौरी, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि:- प्रार्थी का विद्युत बिल मार्च 2015 में फाइनल का पूरा जमा किया जा चुका था तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री यू०सी० पाण्डे जी द्वारा मीटर उतार कर जमा कर लिया गया था। उसके बाद बिल आने बन्द हो गए थे। लेकिन आज कुछ समय पहले ही विभाग द्वारा भुगतान हेतु मुझसे सम्पर्क किया गया है। जो की पूर्णतः गलत है। इतने समय तक विभाग गहरी नींद में सोया था। इतने सालों बाद प्रार्थी का विभाग द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। विभाग की गलती के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है की प्रार्थी को न्याय दिलाने का कष्ट करें।
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 02.08.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या-396E161121482 जोकि वाणिज्यिक (8.00 KW) है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पूर्व में ही तत्कालीन तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री यू०सी० पाण्डे जी द्वारा मापक को पी०डी० हेतु जमा कर लिया गया था। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त संयोजन को तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री प्रेम प्रकाश जी द्वारा दिनांक 06.04.2016 को ऑनलाइन में DISCONNECT कर दिया गया था, जोकि ऑनलाइन में भी दर्ज है। दिनांक 09.02.2015 तक उपभोक्ता को सही रीडिंग के बिल दिए गए हैं तथा प्रेषित बिलों को उपभोक्ता द्वारा फाइनल ही जमा भी करा दिया गया है। उसके बाद माह 03/2015 से माह 11/2016 तक रीडिंग 8742 KWH पर NA में बने हैं। उपभोक्ता का अंतिम बिल दिनांक 30.11.2016 को रीडिंग 8742 KWH पर NA बना है क्योंकि शायद परिसर में मापक उपलब्ध नहीं होगा।







3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 26.08.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या-396E161121482 जोकि वाणिज्यिक (8.00 KW) के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (ग्रामीण) प्रथम कमलवागांजा द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है (कागज संख्या-10/1 से 10/2)। जिसके आधार पर उपभोक्ता का विद्युत बिल सत्यापित व अंतिम रीडिंग 8742 KWH के आधार पर संशोधित भी कर दिया गया है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है की वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।

4. दिनांक 28.8.2025 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। परिवादी द्वारा कहा गया कि वर्ष 2016 के शुरुआती महीनों में ही उनका मीटर उतार दिया गया था तथा जे0ई0 के को कनैक्शन काटने के आवेदन के बाद 2016 में ही सभी भुगतान पूर्ण करते हुए ₹ 1600.00 जमा कराए गये। विभाग ने कागजों में कनैक्शन बन्द क्यों नहीं किया यह तो मालूम नहीं परन्तु 2016 में जो कनैक्शन परिसर से हटा दिया गया था तथा कोई बकाया नहीं था, उसके लिए इतने साल बाद वसूली का नोटिस भेजना विधि विरुद्ध है।

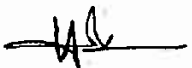
विपक्षी द्वारा कहा गया कि फरवरी 2015 में रीडिंग 8742 थी तथा 06.04.2016 में मीटर उतारा गया। इस बीच NA के बिल बने हैं। उक्त अवधि तक औसत खपत पर बिल बनाकर 06.04.2016 की तिथि तक पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर 29.08.2025 को मंच में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

5. दिनांक 29.08.2025 को विपक्षी संशोधित बीजक के साथ मंच में उपस्थित हुए। उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का बीजक संशोधित कर दिया गया है। परिवादी द्वारा संशोधित बीजक की राशि ₹ 13033.21 जमा कराये जाने के पश्चात विपक्षी, पक्षिादी की जमानत राशि का समायोजन करते हुये पी0डी0 रिपोर्ट तैयार करे।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जात है कि परिवादी की पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर 30 दिन के भीतर मंच में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर पक्षिादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-29/08/2025

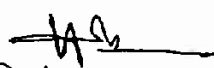

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

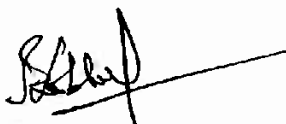

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-29/08/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

- उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या - 115/2025

पंजीकरण तिथि - 04.08.2025

निर्णय की तिथि - 26.08.2025

राजीव कुमार टंडन,
पुत्र इन्दर नारायण टंडन,
हिल्स ब्यू कालोनी, ब्लाक हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल,

परिवादी

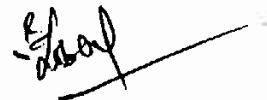
बनाम

अश्विनासी अश्विन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायत पत्र में कहा गया है कि- I am facing issue with the billing cycle as the meter readings are not being taken or submitted in time. I am attaching latest bill in which the cycle was 70 days and due to this the bill amount is coming higher as the benefit of first 200 units for less rate is getting lost. For getting the latest bill I had visited the Kamaluaganja station and met the relevant officer but as per him the readings are not being taken in time by 3rd party contractor. I spoke to the contractor and then his staff came to take reading. I have solar installed so have Net meter. Contractor details given to me at Kamaluaganja station were as follows,
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-397KS01665211 के बिलों का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 12.04.2024 को उपभोक्ता के परिसर में



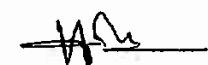
सोलर मापक लगा दिया गया है। माह 02/2025 से 06/2025 तक की बिलिंग में माह 03/2025 तथा 05/2025 का बिल नहीं बनाया गया है। एक साथ दो-दो माह के बिल दिए गये हैं। माह 08/2025 की MRJ व नियमित बिलिंग के लिए रिषिगा कंपनी के सुपरवाइजर को भी कह दिया गया है। अतिशीघ्र ही बिल बनाकर उपभोक्ता तथा मा० फोरम को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. परिवादी प्रतिउत्तर प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि— I sincerely thank your good forum for the assistance provided. The electricity bill for the period from 18th June 2025 to 15th August 2025 of amount rupees 16542 is well received. I want to convey through your good forum to the electricity department that the billing cycle should be done every month so that cost benefit of initial units is not lost. For this time I do not want to continue with this case any further, however it should be conveyed through your good forum to Electricity department that in future if financial loss is occurred due to such delayed billing then they will be liable to refund such extra charges.
1. मंच द्वारा पत्रावलीका अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी ने भी इस पर संतुष्टि जताई है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

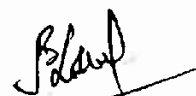
दिनांक :- 26/08/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



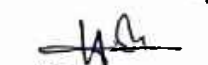
तिलक राज भाटिया
सदस्य (तकनीकी)



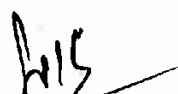
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुलेफोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

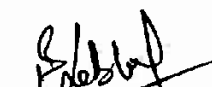
दिनांक :- 26/08/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



तिलक राज भाटिया
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM,
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.:116/2025

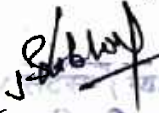
Shri/Smt:-श्रेया सती

V/S Executive Engineer- रामनगर

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	04.08.2025	विपक्षी को दिनांक 13.08.2025 को उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। 	13.08.2025
	13.08.25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति परिवादी को भेजी जाय। परिवादी दिनांक 20.08.2025 तक अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने।  <u>आदेश</u>	20.08.2025
	20.08.25	पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी के उत्तर पत्र पर परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि "you may proceed to close the case." पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी की बिल संबंधी खिचत पर विपक्षी की कार्यवाही पर विपक्षी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की। जाने के पालस्वहसु बाद निश्चित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दस्तखत।  <u>आदेश</u>	निश्चित

सहायक उपनिर्देशक
वि.क. विभाग, क.स.प. हल्द्वानी
20/08/25


उपनिर्देशक (कार्यिक)
वि.क. विभाग, क.स.प. हल्द्वानी
20/08/25

व्यक्ति उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

- कोरम
- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
 - 2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
 - 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-117 / 2025

पंजीकरण तिथि:-04.08.2025

निर्णय की तिथि:-19.08.2025

रजन पट्टे

आर०टी०ओ०, मंगला विहार,
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल,

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी (ग्रामीण)।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:- Madam/ Dear sir i have paid my last bill of an amt of rupees 4237 on 08 july 25 for my last reading of 446. Today my reading is 764.8 however I received a bill of Rs 34592/ today which is quite unjustified. All the documents are attached kindly resolve the issue immediately. How can I receive a bill of 34592/ despite consumptions,
2. ~~पक्षी~~/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:- उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-392E225288713 के बिलों का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 28/05/2025 को उपभोक्ता के परिसर में सोलर मापक लगा दिया गया है। बदले गए मापक की सीलिंग की ऑनलाइन में भी प्रविष्टि हो गयी थी, साथ ही बिल भी बनना प्रारंभ हो गया था। लेकिन परिक्षणखंड द्वारा भूलवश उसी पुरानी सीलिंग की दूसरी बार ऑनलाइन में

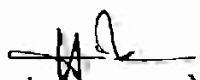
प्रविष्टी कर दी गयी थी। भूलसुधार करते हुए दिनांक 28/05/2025 से ही उपभोक्ता के बिल को संसोधित किया जा चुका है।

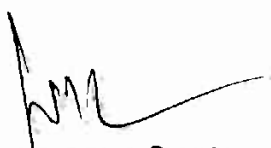
3. पश्चादी द्वारा अपने संतुष्ट पत्र में कहा गया कि:—my outstanding bill have been revised and I have paid the bill. Kindly close the complaint. Thanks for the needful.
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा पश्चादी की बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा पश्चादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:—19.08.2025

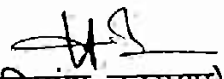

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

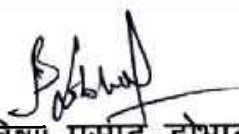

(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:—19.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-04202507100001

पंजीकरण तिथि-10.07.2025

निर्णय तिथि-18.08.2025

सुंदर सिंह दरियाल,
रामरी जसुवा,
डिफेन्स कॉलौनी, पो०-फतेहपुर
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल,

परिवादी

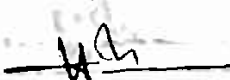
बनाम

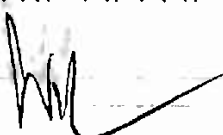
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

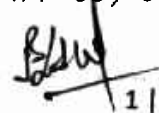
विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि Sir my digital meter changed to digital smart meter on 19 Apr 2025 after changing meter no bill generated,
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक 01.08.2025 में कहा गया है कि:- उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या-391E311135128 में स्मार्ट मापक दिनांक 19/04/2025 को लगाया गया था। पुराना मापक अंतिम रीडिंग 12376 KWH पर उत्तरा गया था। दिनांक 29/07/2025 को स्मार्ट मापक का बिल बना दिया गया है।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 18.08.2025 में कहा गया कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या- 391E311135128 में पुराना मापक दिनांक 19.04.2025 को लगाया था। पुराना मापक अंतिम रीडिंग 12376 KWH पर उत्तरा गया था। दिनांक 29/07/2025 को स्मार्ट मापक का बिल बना दिया गया था। दिनांक 03/08/2025







को स्मार्ट मापक का दूसरा बिल भी बना दिया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता के बिल चेक भी किया गया जोकि सही पाया गया है।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 18.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 18.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत विचारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202507110001

पंजीकरण तिथि-11.07.2025

निर्णय तिथि-01.08.2025

मुन्नी देवी
 बमेठा बंगर, खीमा
 हल्द्वचौड़
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हसनगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

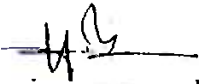
निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRE- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "My electricity bill is more than consumption. I want to install check metre."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-391NN17114040 के बिलों का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि माह 04/2025 से लगातार ही माह 07/2025 तक विद्युत उपभोग बढ़ा है। यदि शिकायतकर्ता को ऐसा लगता है कि उसका बिल उसके विद्युत उपभोग से अधिक आ रहा है तो चैक मापक शुल्क जमा कर वह अपने मापक की जांच करवा सकते हैं। अतः रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता का बिल सही है।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने बिल अधिक आने की शिकायत एवं मीटर शुद्धता जांच की मांग की है। परिवादी को मीटर की शुद्धता पर शंका है तो वह चैक मापक हेतु विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांच करवा सकता है। चैक मापक स्थापना के लिए परिवादी के स्तर पर ही कार्यवाही की जानी है। अतः मंच में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 01/08/2025

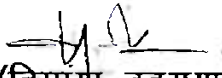

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

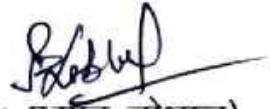

(विष्णु प्रसाद डोमाले)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 01/08/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाले)
सदस्य (न्यायिक)

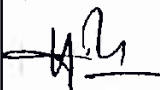
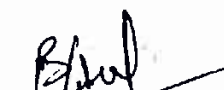
**OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM,
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.: 04202507140001

Shri/Smt. श्रीवर्मा कुमर

V/S Executive Engineer... श्री नीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
Printed	02/08/2025 -	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली के शिकायत निस्तारित पत्र पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु उप- खण्ड आधिकारी श्री नीताल उपस्थित। शिकायती ने आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि पत्रावली के मीटर की वर्तमान रीडिंग के आधार पर बिल संशोधित कर दिए। यहाँ है तथा संशोधन के बाद बिल रु. 74.00 रुपये है। आवेदन के साथ लेजर की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है। अवलोकन किया गया। शिकायती डाका पत्रावली की शिकायत का समाधान किया जा चुका है। अतः वापस निस्तारित किया जाता है। पत्रावली संचित है। पत्रावली दाखिल दफ्तरी है।  सदस्य (उपसोचक) वि० सं० १०/१०/१०/१० हल्द्वानी  सदस्य (आयुक्त) वि० सं० १०/१०/१०/१० हल्द्वानी	

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202507170001

पंजीकरण तिथि:- 17.07.2025

निर्णय की तिथि:- 18.08.2025

श्री देवी

पश्चिमी

अलकनन्दा कालौनी,

ओल्ड धानमिल हल्द्वानी,

जिला-नैनीताल,

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

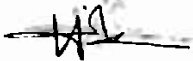
विद्युत वितरण खण्ड

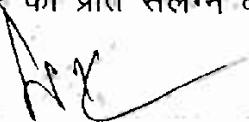
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

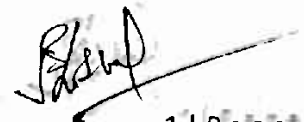
हल्द्वानी (नगर)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:- May month bill i had paid already still re added in June month. And with installation of new meters bill had increased much more than earlier,
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:-उपभोक्ता की शिकायत के अनुसार उनका बिल माह 06/2025 भुगतान के बावजूद बिल में जुड़ रहा है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा बिल अवधि दिनांक 29.04.2025 से दिनांक 22.05.2025 का भुगतान माह 06/2025 में किया गया है एवं वर्तमान में उपभोक्ता का बिल दिनांक 22.05.2025 से दिनांक 01.07.2025 की अवधि का भुगतान देय है। उपभोक्ता बिल एवं लेजर की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।





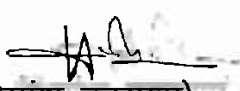


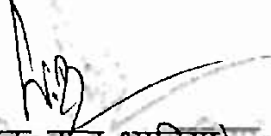
3. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर पत्र में कहा गया है कि नये मीटर लगाने के बाद से बिजली की Unit खपत बढ़ गयी है पिछले 5-7 माह क मुकाबले ज्यादा Unit बिल में आ रही है, जिससे बिल अधिक बढ़ गया है, महोदय हमारे घर में मात्र (3) व्यक्ति रहते हैं तथा हम दिन भर अपने काम में व्यस्त तथा रात में सिर्फ 1 कमरे का पंखा चलाते हैं, आप हमारे पिछले बिल के ब्यौरों से खपत Unit दरो को देख कर Analyssi कर सकते हैं। परंतु नये मीटर लगाने के बाद से सिर्फ एक कमरे में बिजली Use करने के बावजूद 179 unit, 147 Unit आ रही है पहले 81,99,104 तक ही रहती थी, महोदय कृपया इस समस्या से हमें निजात दिलाये पिछले 5-6 माह का बिल का Screent shot Attach with email,
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत के बिल मीटर्ड यूनिट (एम0यू) के भेजे गए हैं। वास्तविक खपत के बिलों में संशोधित कराए जाने का अधिकार इस मंच को नहीं है। परिवादी को अधिक खपत की आशंका है तो वह अपने मीटर की शुद्धता जांच हेतु विपक्षी के उपखंड कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की जांच करवा सकता है। अतः परिवादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

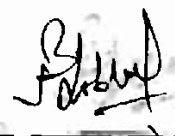
आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 18.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

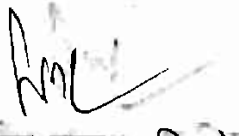

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में ~~नहीं~~ किहस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 18.08.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM,
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

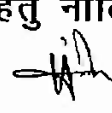
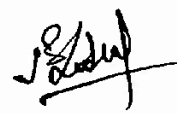
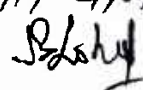
Case No.: 04202507190001

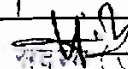
Shri/Smt..Jagdish Chandra

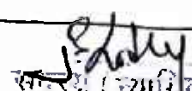
V/S

Executive Engineer..Haldwani(R)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	19.07.2025	ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 26.07.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें।  निर्णय 	26.07.2025
	02/08/2025	पक्षावली प्रस्तुत। विपक्षी विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया। पक्षिणी के दावे कहा गया कि इसको Online पर जमा करने पर निर्धारित 1.50% की छूट नहीं दी जा रही है किन्तु अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जब भी उनके द्वारा कोई बिल समयानुसार जमा किया गया है इसकी छूट अगले मास के बिल में 10% द्वारा स्वतः दी गई है। मंच द्वारा बिल टिप्पणी का अवलोकन किया गया पक्षिणी में निर्धारित छूट नियमानुसार दी जा रही है अतः वाद खारिज किया जाने योग्य है। आदेश  पक्षिणी का वाद खारिज किया जाता है। पक्षावली दायित्व स्वीकार हो	निर्धारित


(जनसोयता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी


(न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

**OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM,**

KUMAOUN ZONE, HALDWANI

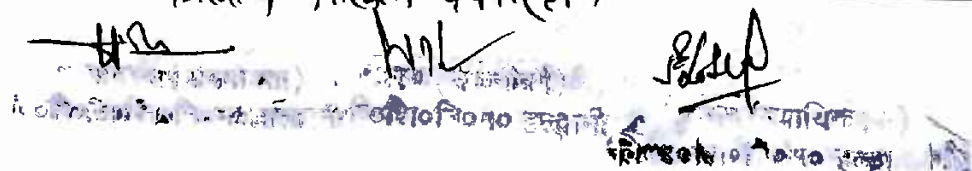
04202507200001
Case No.: /2025

Shri/Smt. किष्की कुमारी

V/S Executive Engineer. हल्द्वानी (ग्राम)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	07/08/25	पत्रावली लौश हुई। अवलोकित। पक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रति परिवादी को भेजी जाये। परिवादी अपना प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांक 18.08.2025 को मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। <u>आदेश।</u> पत्रावली प्रस्तुत। विद्युत बिल की निस्तारित मिलने की शिकायत के संबंध में विपक्षी/विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन (बिल की प्रति के साथ) परिवर्ती को भेजी गयी थी। परिवर्ती द्वारा आज मंच कार्यलय को अपना संतुष्टि पत्र प्रेषित करते हुए कहा गया कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है तथा आ केस बंद कर दिया जाये। परिवर्ती की संतुष्टि के आधार पर यह निस्तारित किया जाता है। पत्रावली पूर्ण है।	18.08.2025



**OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM,
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.: 04202507210001

Shri/Smt..Naveen Chandra Suyal

V/S

Executive Engineer..Haldwani(R)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	21.07.2025	ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से कायदा प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 26.07.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। 	26.07.2025
	26/07/2025	पतावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा समय (विस्तार की मांग की गई (विस्तारीय चुनाव के कारण) स्वीकृत। दिनांक 02/08/2025 को विधि नियम की जाती है।  आदेश	
	02/08/2025	पतावली प्रस्तुत। विपक्षी विभाग द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत। अधिसूचना द्वारा जमा बिल राशि को समायोजित किया गया है। तथा माह 03/2025 में समायोजित हो गई है। (बिल लेजर की अवलोकन किया गया। धारिता की शिकायत का समाधान हो जाने के कारण यदि निस्तारित किया जाता है।  धारिता प्रस्तुत है	निस्तारित

अध्यक्ष (उपभोक्ता)
वि०स०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०स०शि०नि०म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202507260001

पंजीकरण तिथि:-26.07.2025

निर्णय की तिथि:- 18.08.2025

अम्बा दत्त पाठक,
महेन्द्र शोरूम के सामने,
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल,

परिवादी

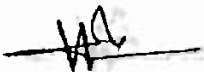
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

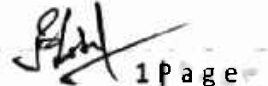
विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:- "No one came for meter reading and we have solar installed 2 month back still bill is generated evn though the consumption is too less than generation."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:-शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-391D245142540 के मापक की MRI के मार्फत रीडिंग करवा कर बिल बना दिया गया है। वर्तमान में उपभोक्ता का बिल Rs.-1161.34 (ऋणात्मक है), बिल जमा नहींकरना है। उपभोक्ता की शिकायत का निवारण किया जा चुका है।
3. परिवादी द्वारा अपने संतुष्ट पत्र में कहा गया कि Issue has been resolved.
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल संशोधन संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।



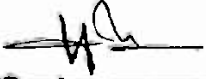


 1 Page

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 18.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



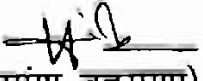
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



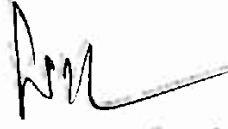
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 18.08.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM,
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.: 04202507240001, 04202507250001

Shri/Smt..Sundar Singh Dariyal V/S Executive Engineer..Haldwani(R)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	25.07.2025	ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 04.08.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। — [Signature] — [Signature] <u>आदेश</u> पक्षावली प्रस्तुत। अवलोकन किया गया, परिवारी द्वारा पूर्व में दिनांक 10/07/2025 को वाफ संख्या 04202507100001 ऑनलाइन पोर्टल पर यही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है, तथा दिनांक 07/08/2025 को अग्रिम तिथि भी नियत है, परिवारी की शिकायत पर बिल भी बनाया जा चुका है, यदि Case No. 4202507100001 में वे गतिमान है, अतः इस शिकायत संख्या 042025072400001 को रिसा किया जाता है तथा Case No. 04202507250001 भी रिसा। पक्षावली का रिसा उत्तर है।	04.08.2025

04/08
2025

निरस्त

[Signature]

सहायक (अध्यक्ष)
विद्युत वितरण विभाग हल्द्वानी

[Signature]

सहायक (आयुक्त)
विद्युत वितरण विभाग हल्द्वानी

**OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM,
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.: 04202507240001, 04202507250001

Shri/Smt..Sundar Singh Dariyal V/S Executive Engineer..Haldwani(R)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	25.07.2025	ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 04.08.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। — [Signature] — [Signature] <u>आदेश</u> पक्षावली प्रस्तुत। अवलोकन किया गया, परिवारी द्वारा पूर्व में दिनांक 10/07/2025 को वाफ संख्या 04202507100001 ऑनलाइन पोर्टल पर यही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है, तथा दिनांक 07/08/2025 को अग्रिम तिथि भी नियत है, परिवारी की शिकायत पर बिल भी बनाया जा चुका है, यदि Case No. 4202507100001 में वे गतिमान है, अतः इस शिकायत संख्या 042025072400001 को रिसा किया जाता है तथा Case No. 04202507250001 भी रिसा। पक्षावली का रिसा पत्र है।	04.08.2025

04/08
2025

निरस्तारित

— [Signature] —

सहायक (अध्यक्ष) /
विद्युत विभाग हल्द्वानी

— [Signature] —

सहायक (आयुक्त) /
विद्युत विभाग हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या - 04202508120001

पंजीकरण तिथि - 12.08.2025

निर्णय की तिथि- 27.08.2025

अजय कुमार मौर्य,
पुत्र चन्द्रमा राम,
पोस्ट-भवाली, फ्लैट नं०-205,
एक्सेजटर माउ ले ब्यू, श्यामखो भवाली,
जिला-नैनीताल,

परिवादी

बनाम

अधिसासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
नैनीताल।

विपक्षी

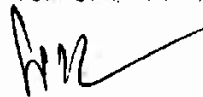
निर्णय

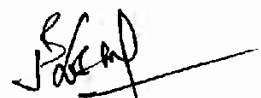
1. परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है कि:-I am out of station for 1 month but still bill showing electric consumption and bill is generated without reading.
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि:- उपभोक्ता श्री अजय कुमार मौर्या, भवाली (संयोजन संख्या-591NM11579130) में विद्युत मापक से प्राप्त रीडिंग 693 KWH के आधार पर विद्युत बिल रु० 509.00 मात्र का बना है। उपभोक्ता का वर्तमान विद्युत बिल सही है।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि परिवादी का बीजक मीटर में दर्शित रीडिंग के आधार पर ही रु० 509.00 मात्र का बनाया गया है। अतः वाद खारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के





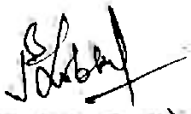


भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- 27/08/2025

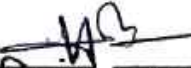

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


तिलक राज भाटिया
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक :- 27/08/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


तिलक राज भाटिया
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)